

ADITYA BIRLA



UTCL/DLCW-FC/2025/21

25.04.2025

The Divisional Forest Officer
Obra Forest Division, Sonbhadra
Uttar Pradesh

Sub: Proposal for diversion of 344.688 ha Reserved Forest Land (294.082 ha Reserved Forest land under Kajrahat (Dalla) Limestone Mine and 50.606 ha Reserved Forest land under Bhalua Limestone Mine) for mining on 10 years lease period in favour of UltraTech Cement Limited, Dalla in Obra Forest Division of Sonbhadra District, State Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/47074/2020).

Ref: 1) Proposal No. FP/UP/MIN/47074/2020, MoEF&Cc File No. 8-26/2021-FC, EDS raised on dated 14.11.2022
2) DIG forest letter on dated 27.11.2023
3) DFO Obra letter No. 1606 / ओबरा /15 भू.हं. दिनांक 31.01.2025

Dear Sir,

The Existing Proposal (Online No. FP/UP/MIN/47074/2020) was submitted for 344.688 ha in 2020. Refer to EDS of MOEF&CC dated 14.11.2022 and minute of meeting of 25.08.2023 issued by Nodal Officer. A joint survey was conducted as per direction given by Nodal Officer for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines with Revenue department, Forest department and User Agency.

Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. Based on CA (Compensatory Afforestation) land availability and unavailability of mining plan for entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal **FP/UP/MIN/47074/2020**.

After joint survey, it has been established that the forest area in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines is 404.388 ha and Bhalua Limestone Mines is 62.386 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines is 92.62 ha (Forest area is 55.323 ha and non-Forest area is 37.297 ha). Accordingly, we would like to edit area in our proposal no. **FP/UP/MIN/47074/2020**.

Accordingly, we would like to keep only forest area of Kota and Padrach Village in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines for Revised Proposal. We request you to kindly grant permission to edit the area/narrative in part one accordingly KML file in Revised Proposal of 331.475 ha and SOI Map, DGPS Map, KML file and other essential document can be submitted **FP/UP/MIN/47074/2020**.



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA

SOI Map, DGPS Map, KML file and other essential document can be submitted **FP/UP/MIN/47074/2020**.

As per MoEF&Cc letter dated 14.11.2022 and DIG Forest letter dated 27.11.2023 and letter from your good office, point wise EDS compliance for the diversion of 344.688 ha Forest land within Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines are as given below –

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
1	The DCF/CCF/Nodal Officer (Part IV) and the State Government (Part V) are required to give their clear and specific recommendation for the proposal, which has not been provided. The same shall be submitted.	Recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer and State Government recommendation has been uploaded in Form A: Part-II on PARIVESH Portal. (The recommendation copies of DFO/CCF/Nodal Officer and State Government are attached for your reference and record as Annexure-1). However, the specific recommendation as per EDS shall be given by respective Authority.
2	The copy of User Agency letter dated 17.08.2022 along with an Undertaking that No Mining/Work will be done in total Area of 92.60 ha involving 23.637 ha of non-Forest land and 68.963 ha of Forest land falling within the Eco-Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary shall be submitted.	Undertaking that no mining activity or any other activity will not be carried out in total Kaimoor Eco-Sensitive Zone area is attached as Annexure-2 . Existing Proposal - Accordingly, no land use change is proposed in Kaimoor Eco-Sensitive Zone area. Total area in Eco-Sensitive Zone is 92.60 ha wherein 23.637 ha is non-Forest land and 68.963 ha is Forest land. Revised Proposal - Accordingly, no land use change is proposed in Kaimoor Eco-Sensitive Zone area. Total area in Eco-Sensitive Zone is 92.62 ha wherein 37.297 ha is non-Forest land and 55.323 ha is Forest land.
3	The status of Mining after Expiry of Mining lease in the year 1996 and 2002 in case of Kajrahat Limestone Mine and Bhalua Limestone Mine respectively shall be	The Kajrahat and Bhalua mining leases were transferred by the State Government of Uttar Pradesh to JP Associates Limited dated 07.11.2007 and 12.12.2007 respectively pursuant to the orders dated 12.12.2007 of Hon'ble Allahabad High Court subject to the conditions that mining lease covered by

**UltraTech Cement Limited**

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

	submitted along with the status of violation of FCA 1980 in the proposed area.	<p>Forest land will be transferred to JP Associates Ltd. after the approval of Government of India.</p> <p>The above said two mining leases were further transferred to UltraTech Cement Ltd. by Government of Uttar Pradesh vide G.O. No. 1333/86-2017-169/2016 dated 20.06.2017 pursuant to the orders of the National Company Law Tribunal Bombay dated 15.02.2017 and NCLT Allahabad dated 02.03.2017.</p> <p>Since no mining leases for forest area were executed, consequently no activities were carried out in the proposed forest area by User Agency. Therefore, no violation of FC Act 1980 has been committed by User agency – UltraTech Cement Limited in this proposed area.</p>
4	The copy Undertaking that the Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary area will be prepared and implemented at the cost of User Agency shall be submitted.	Copy of Undertaking for Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary enclosed as Annexure-3 .
5	As per DSS Analysis it has been reported that the KML file of 13 patches having area less than 5 ha are still found uploaded on PARIVESH. The same needs to be revised on the PARIVESH Portal.	<p>In Form A: Part-I at the PARIVESH portal, the revised KML files following the removal of 13 patches (area less than 5 ha) are posted. The KML files are also attached along with this document showing that the mentioned patches are adjoining and interconnected resulting in total area of more than 5 ha.</p> <p>The screenshot of the KML file with description of CA land patches is attached as Annexure-4.</p> <p>Form A attached as Annexure-5</p>
6	The State Government has provided the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which have been found unsuitable for	As per the Ministry's Guidelines dated 13.07.2022, certain CA patches in non-forest land under Mirzapur district are unsuitable for carrying out plantation work and the reasons thereof have been provided by the DFO. (Inspection Report dated 22.02.2021 DFO,



UltraTech Cement Limited

Unit: Datta Cement Works : SH 5, Post: Datta, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

	<p>carrying out plantation work. It has been observed that the said areas proposed for CA are un-suitable for plantation and the same are not in conformity with the Ministry's Guidelines dated 13.07.2022. The areas suitable for plantation in conformity with guidelines issued by the Ministry are therefore required to be provided.</p>	<p>Kaimoor Wildlife & 10.03.2021 DFO, Mirzapur uploaded in Form A: Part-II).</p> <p>Accordingly, the Forest Authorities are requested to carry out plantation on double degraded forest land as per revised MoEF&Cc (GOI) Guidelines dated 21.08.2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg." Point no. 4 (ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account."</p> <p>Refer to the MoEF&Cc (GOI) Guidelines dated 21.08.2023 and principle of "Tree for tree and land for land", total 242 ha double degraded CA land given in Ora division for tree plantation uploaded in Form A: Part-II).</p> <p>Now in reference to this we are coordinating with DFO Mirzapur and Kaimoor for establishing the CA area given by Cabinet of Uttar Pradesh Order No. 578 dated 11.06.2020 and we undertake to abide by the revised MoEF&Cc (GOI) Guidelines dated 21.08.2023 and copy of the undertaking is enclosed as Annexure-6 and Cabinet order for CA land is attached as Annexure-7.</p>
7	<p>After superimposing the KML file of Mining lease over the Forest Compartment Boundary available on the DSS Portal, it has been observed that many forest patches within the</p>	<p>Existing Proposal - Please refer to the Government of Uttar Pradesh Order No. 1333/86-2017-169/2016 issued by the Additional Chief Secretary (UP State Government) on 20.06.2017. In this order, the forest area for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines are specified as being 50.606 ha and 380.635 ha, respectively. There are 431.241 hectares of forests overall.</p>



UltraTech
CEMENT

The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

	<p>Kajrahat and Bhalua Mining leases have not been included in the area proposed for diversion. According, less forest area has been applied for diversion (Copy enclosed). The same needs to be incorporated and revised proposal shall be submitted accordingly.</p>	<p>Eco-Sensitive Zone (68.963 ha) and Kanhar River (17.59 ha) were subtracted, leaving 344.688 ha available for the diversion of forest land. Thus, a request for forest clearance has been made for the whole forest area except for the Eco-Sensitive Zone and Kanhar River.</p> <p>Before our submission of the said forest area, it was duly inspected and verified by DFO, Obra. We had annexed the said report as Annexure-8.</p> <p>Revised Proposal –</p> <p>Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. Based on CA land availability and unavailability of mining plan for entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Refer to Kajrahat (Dalla) Limestone Mines, Forest area is 404.388 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary is 92.62 ha (Forest area is 55.323ha and non-Forest area is 37.297 ha). After deducting forest area of Eco Sensitive Zone (55.323 ha) and Kanhar River area (17.590 ha) from total forest area (404.388ha), forest area for diversion shall be 331.475 ha. Hence, we have incorporated all forest area in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. (Attached as Annexure-9)</p>
8	<p>The Mining Plan of instant project was prepared and approved in the year 2007 in favour of M/s Jaiprakash Associate Ltd. In this regard the relevance and the validity of the Mining plan after a gap of 15 years needs re-examination. Further it has been intimated by the State Government that</p>	<p>Existing Proposal –</p> <p>The Modified Mining Plan for the Kajrahat mining lease was approved on 10.07.2024 and is valid up to 31.03.2026 (copy enclosed as Annexure-10).</p> <p>The Mining Plan for the Bhalua mining lease's executed area was approved on 13.04.2022, and its validity period ends on 31.03.2027 (copy enclosed as Annexure-11).</p> <p>Please take note that the approved mining plan of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines indicates that area</p>



UltraTech
C E M E N T

The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited

Unit: Datta Cement Works : SH 5, Post: Datta, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



No mining /work will be done in the 92.60 ha area falling within the Eco-Sensitive Zone. This 92.6 ha area is to be excluded from the mining plan. The mining plan is therefore required to be revised as per the present site conditions and proposed land use.	falling under Eco-Sensitive Zone is a no-working zone. (Undertaking enclosed as Annexure-2) Revised Proposal – As the revised proposal, it involves only Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. The Modified Mining Plan for the Kajrahat mining lease was approved on 10.07.2024 and is valid up to 31.03.2026
--	---

In reference to DIG forest letter on dated 27.11.2023 and DFO Obra letter No. 3219 / ओबरा/15 भू.ह. दिनांक 29.06.2024, point wise EDS compliance for the diversion of 344.688 ha. Forest land within Bhalua & Kajrahat Mine area are as given below –

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply details
1	The State Government shall submit the approved Mining Plan in whose favour the LOI is given/mining lease is proposed to be executed, along with the copy of LOI.	Existing Proposal – We would like to place on record that the LOI is in favour of the user agency (i.e., UltraTech Cement Limited) vide letter no. 1333/86-2017-169/2016, Lucknow, dated: 20-06-2017 attached as Annexure-12 . The Modified Mining Plan for the Kajrahat mining lease was approved on 10.07.2024, and is valid up to 31.03.2026 (copy enclosed as Annexure-13) The Mining Plan for the Bhalua Limestone Mines executed area was approved on 13.04.2022, and its validity period ends on 31.03.2027 (copy enclosed as Annexure-14). Revised Proposal – We would like to place on record that LOI is in favour of the user agency (i.e., M/s UltraTech Cement Limited) attached as Annexure-15 .



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

		The Modified Mining Plan for the Kajrahat mining lease was approved on 10.07.2024, and is valid up to 31.03.2026 (copy enclosed as Annexure-13)
2	The State Government shall submit the detail of forest land and non-forest land involved in the mining proposal and their land use along with requisite KML files.	A joint survey was conducted as per direction given by Nodal Officer for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines with Revenue department, Forest department and User Agency. Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. Based on CA land availability and unavailability of mining plan for entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Our Revised proposal in Kajrahat (Dalla) Mining lease is 331.475 ha. The detail of the forest and non-forest area is attached as Annexure-16
3	The CA area shall be in favour of the person in whose favour LOI/Mining lease has been given. Therefore, the state government shall provide the related document in this regard.	LOI is in favour of User agency (i.e., M/s UltraTech Cement Limited) and as desired the CA land is already in favour of User agency. CA land are given in Kaimoor and Mirzapur Forest Division by Cabinet order no. 578 on dated 11.06.2020 to user agency. Copy of CA area in User Agency name is enclosed as Annexure-17 .

The joint survey was conducted as per direction given by Nodal Officer for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines with Revenue department, Forest department and User Agency. The joint survey comprises forest and non-forest area of Obra Forest Division (Report attached as **Annexure-18**) and Eco Sensitive Zone falling in Kaimoor Wildlife Sanctuary (Report attached as **Annexure-19**).

The village wise details of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines are as follows: -



UltraTech Cement Limited

Unit: Datta Cement Works : SH 5, Post: Datta, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

Village/ Lease	Forest area (ha)	Non- Forest area (ha)	Total lease area (ha)	Forest in ESZ (ha)	Non- Forest in ESZ (ha)	Total ESZ area in lease (ha)	River area in lease (Forest) (ha)	FC proposal (Excluding forest area of River and ESZ) (ha)
Kota	336.161	330.164	666.325	52.344	29.777	82.120	8.440	275.377
Padrach	68.227	16.448	84.675	2.979	7.520	10.500	9.150	56.098
Total	404.388	346.612	751.000	55.323	37.297	92.620	17.590	331.475

Based on CA land availability and unavailability of mining plan for entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. The Revised Forest diversion proposal consists of Kota and Padrach Village in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines of Obra Forest Division in District Sonbhadra.

We request you to kindly consider our EDS reply and grant permission to edit the area/narrative in **Part - I** of proposal no. **FP/UP/MIN/47074/2020** and recommend the same to concerned authority so that accordingly KML file in 331.475 ha and SOI Map, DGPS Map and other essential document can be submitted.

Thanking you,

For UltraTech Cement Limited

Rajendra Kabra

(Authorized Signatory)



UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



Date: 20-02-2025

Letter of Authority

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Pursuant to the authority vested in terms of Power of Attorney dated 02/01/2023 adopted at the meeting of Board of Directors of UltraTech Cement Limited held on 19/10/2022, I, E.R. Raj Narayanan, (Business Head & Chief Manufacturing Officer) do hereby appoint and constitute Mr. Rajendra Kabra, (Chief Operating Officer, Central Cluster) of Dalla Cement Works and Dalla Super Cement Works to be our true and lawful attorney in the name of and on behalf of the company to do and transact all or any of the acts, deeds and things viz, to file application (s) for forest clearance with Ministry of Environment, Forest Climate Change, Government of India, New Delhi, seeking clearance / approval of diversion of forest land for Captive Lime Stone Mines (Kajrahat Limestone Mines) of Dalla Cement Works and Dalla Super Cement Works (Unit of UltraTech Cement Limited) and generally to do all other such lawful, acts deeds and things as may be necessary for the above mentioned purpose.

For and on behalf of UltraTech Cement Limited

Signature of Rajendra Kabra

Attested by

E.R. Raj Narayanan
Chief Manufacturing Officer &
Constituted Attorney Holder

For UltraTech Cement Limited

E.R. Raj Narayanan
Chief Manufacturing Officer &
Constituted Attorney Holder

Date: 20-02-2025

Place Mumbai



UltraTech Cement Limited

भाग- II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान-	मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	II	जिला	सोनभद्र
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	344.688 हे0
	V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
	VI	हरियाली का घनत्व	0.3
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है।
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है।
	IX	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688हे0 क्षेत्र में से 26.579हे0 क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि 26.579हे0 में सभी कार्य उ0प्र0सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 1976 में किये गये थे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक-16.02.2021 मय साक्ष्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
	II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसार लायत ढांचा आदि।	संलग्न है।



(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	658.62825 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
12.		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	69 मामले/793.744हे0
	IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	—
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754हे0
	ख	वनेत्तर भूमि पर	—
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	क	वन भूमि पर	842.754हे0
	ख	वनेत्तर भूमि पर	—
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रश्नगत 344.688हे0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 431 से 435 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों से सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि
स्थान ओबरा !.....

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक-4933 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून 18, 2021
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688 हे0 आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/47074/2020 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के पत्रांक-2887 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक-14.06. 2021,

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव FP/UP/MIN/47074/2020 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी0डी0 संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

1. प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:-

i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम-कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम-कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईन्स से सम्बन्धित ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:-



क्र०सं०	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270 / 14-2-4(15)-74	दि० 22.02.78
		2. 6288 / 14-2-4(15)-74	दि० 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865 / 14-ख-4(11)-70	दि० 21.12.73
		2. 3723 / 14-2-4(67)-69	दि० 05.11.69
3	पड़रछ	5380 / 14-ख-4(27)-70	दि० 10.09.70

मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।

iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे० क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे० क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को हस्तान्तरित कर दिया गया।

v. तत्पश्चात दिनांक-02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक-07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.827हे० भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. किन्तु में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे० एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया

✓



- तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक-12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम-कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरूप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे० वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।
- vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ०ए० संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक-04.05.2016 को मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयों को निरस्त कर दिया गया तथा उ०प्र० सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- viii. तत्पश्चात में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम०ए० संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक-30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार को निर्देशित किया गया।
- ix. इस प्रकार में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे० भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे० वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।
- x. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2016 में में० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी(में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।
- xii. डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में खनन हेतु लीज नवीनीकृत किया गया था किन्तु डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे० वन भूमि पर वर्ष 1976 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 1996 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 1996 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है। इसी प्रकार भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.



827हे० भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में खनन हेतु नवीनीकृत किया गया था, किन्तु 50.606हे० वन भूमि पर वर्ष 1982 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 2002 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 2002 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित 344.688हे० आरक्षित वन के सापेक्ष गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की स्थिति का विवरण:-

- प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 344.688हे० क्षेत्र में से 235.737हे० गैर वनभूमि भूमि मीरजापुर वन प्रभाग में तथा 108.951हे० गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग में दी जा रही है।
- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:-

क्र०सं०	भूमि का क्षेत्रफल	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या
1	133.307हे०	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त
2	90.837हे०	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित
3	120.544हे०	वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त

- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र 120.544 हे० के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन का उल्लेख करते हुए, "Tree for tree and land for land" के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के समतुल्य ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत सकल क्षेत्रफल 120.544हे० (कुल 121हे०) वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।
- वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त किन्तु अतिक्रमित 90.837हे० गैर वन भूमि को वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I) प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688हे० क्षेत्र में से 26.579हे० क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सम्बन्ध में जारी हैण्ड बुक के चैप्टर 7 में 7.2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

1.2 The Supreme Court of India in its order of 6th July 2011 issued guidelines so as to not create fait accompli situation in the matter of diversion of forest land under the FCA, 1980 Therefore, in the case of new mining leases/projects having forest land in part or in full, approval under FCA for diversion of entire forest land located within the mining lease/project is to be obtained before execution/renewal of mining lease/ project.



✓

—5—

उल्लेखनीय है कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे० वन भूमि स्थित है किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेन्सिटिव जोन में स्थित 86.553हे० वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है तथा डाला कजरहट लाईम स्टोन माईन्स में स्थित 380.635हे० वन भूमि में से 294.082हे० वन भूमि का ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रश्नगत प्रस्ताव को इस स्तर से ऑन लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—प्रस्ताव तीन प्रति।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या— अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उपरोक्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर



भाग— III**(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688 हे0 आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षेणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	निरीक्षण दिनांक— 16.06.2021 निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है

दिनांक 18-06-2021

स्थान—मीरजापुर



हस्ताक्षर
मीरजापुर क्षेत्र
K. श्रीराम

नाम

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी
में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688 हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव:-

दिनांक-16.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा व प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री राहुल सहगल, यूनिट हेड, श्री विवेक खोसला, फॉर्गसनल हेड खनन, श्री डी0के0 पाण्डेय, जी0एम0 खनन, श्री अतुल गहराना, जियोलाजिस्ट, श्री प्रदीप शर्मा, सर्वेयर के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आया:-

- i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम-कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0, के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।
 इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम-कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।
- ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईन्स से सम्बन्धित ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270 / 14-2-4(15)-74	दि0 22.02.78
		2. 6288 / 14-2-4(15)-74	दि0 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865 / 14-ख-4(11)-70	दि0 21.12.73
		2. 3723 / 14-2-4(67)-69	दि0 05.11.69
3	पड़रछ	5380 / 14-ख-4(27)-70	दि0 10.09.70



— 2 —

मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।
- iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे० क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे० क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को हस्तान्तरित कर दिया गया।
- v. दिनांक-02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक-07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.827हे० भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।



— 3 —

— 3 —

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

vi. किन्तु में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे० एवं भलुआ माईन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक-12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम-कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरूप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे० वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ०ए० संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक-04.05.2016 को मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयों को निरस्त कर दिया गया तथा उ०प्र० सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

viii. तत्पश्चात में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम०ए० संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक-30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार को निर्देशित किया गया।

ix. इस प्रकार में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे० भूमि एवं भलुआ माईन्स के 19.657हे०



— 4 —

— 4 —

वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

- x. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2016 में मे० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी (मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० कुल 344.688हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
- xii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित कुल 344.688हे० क्षेत्र पूर्व में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत लीज का भाग है।
- xiii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र मौके पर हरा-भरा जंगल के रूप में पाया गया तथा विभिन्न व्यास श्रेणी के भिन्न-भिन्न प्रजाति के कुल 16534 वृक्ष जो मौके पर मौजूद होना प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा बताया गया, जिसका नियमानुसार छपान कर कटान किया जाना है तथा जगह-जगह पर खनन कार्य, बारुद गोदाम, मिक्सिंग शेड, कम्प्रेसर हाउस इत्यादि का निर्माण हुआ पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कार्य/क्षेत्र का विवरण	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)
1	खनन कार्य	3303, 3196, 3205, 3201, 5844	26.485
2	बारुद गोदाम	5857	0.015
3	मिक्सिंग शेड	3211	0.001
4	कम्प्रेसर हाउस	3211	0.024
5	रेस्ट शेल्टर	3211	0.008
6	सोन नदी से खनन कार्य, कारखाना, एवं आवासीय परिसर हेतु पानी की पाईप लाईन का निर्माण	3203, 3204, 3211	0.0464
योग:-			26.579



— 5 —

उक्त गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी कार्य उ0प्र0 सीमेन्ट कारपोरेशन, लि0 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 344.688 हे0 वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 व उ0प्र0 खनिज विकास निगम लि0 द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है तथा प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की 02 प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



FP/UP/MIN/47074/2020

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।	
	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए)	ccf, मिर्जापुरकी संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 27/8/21

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1401/81-2-2021-800(155)/2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

(Signed by आशीष तिवारी)

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

Date: 21-09-2021 15:32:21
Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।





UNDERTAKING

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi- Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.


We hereby undertake that UltraTech Cement Limited will not do any mining or any other activities in Kaimoor ESZ area of 92.60ha i.e. (involving 68.963 ha forest land and 23.637 ha non-forest land) falling within the Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary.

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited


(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



UNDERTAKING

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 331.475 ha forest land for Mining works proposed in village Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.

We hereby undertake that UltraTech Cement Limited will not do any mining or any other activities in Kaimoor ESZ area of 92.62ha i.e. (involving 55.323 ha forest land and 37.297 ha non-forest land) falling within the Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary.

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited

(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



UNDERTAKING

We UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi-Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.


We hereby undertake that UltraTech Cement Limited shall bear the cost for preparation and implementation of Wildlife Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary in the interest of Conservation of Flora & Fauna, to the protection and development of Forest area for sustainable mining works.

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited


(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



UNDERTAKING

We UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 331.475 ha forest land for Mining works proposed in village Kota and Pdrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.

We hereby undertake that UltraTech Cement Limited shall bear the cost for preparation and implementation of Wildlife Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary in the interest of Conservation of Flora & Fauna, to the protection and development of Forest area for sustainable mining works.

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited

(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801; 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



- ▶ KAJRAHAT_BH.kml
- ▼ Temporary Places
 - ▶ CA LAND_PATCH 1_10.4799...
 - ▼ CA Land Deduction.kml
 - ▶ PATCH 1 15.224
 - ▶ PATCH 2 7.881
 - ▶ PATCH 3 1.417
 - ▶ PATCH 4 1.48
 - ▶ PATCH 5 5.108
 - ▶ PATCH 7.5
 - ▶ PATCH 8 127.502
 - ▶ PATCH 9 0.506
 - ▶ PATCH 10 3.506
 - ▶ PATCH 13 9.131
 - ▶ PATCH 14 17.769
 - ▶ PATCH 16 8
 - ▶ PATCH 16A 22.6
 - ▶ PATCH 20 6.717
 - ▶ PATCH 22 30.111
 - ▶ PATCH 23 15.277
 - ▶ PATCH 33 12.113
 - ▶ PATCH 34 25.378
 - ▶ PATCH 35 8
 - ▶ PATCH 36 15.928



Image © 2024 Airbus

Imagery Date: 12/24/2022 24°38'05.73" N 82°25'49.15" E elev 280 m eye alt 25.67 km

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). **Proposal No.** : FP/UP/MIN/47074/2020

(ii). **Name of Project for which Forest Land is required** : The Mining Lease for Mines at village Kota, Billi and Padrach in Tehsil - Robartsganj Distt. Sonbhadra for Dalla Cement Works and Dalla Super Cement Works both Units of Ultratech Cement Ltd.

(iii). **Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required** : PROPOSED DIVERSION OF FOREST LAND AT VILL. KOTA, PADRACH & PANARI IN TEH.-ROBERTSGANJ, DISTT.-SONBHADRA, FOR THE MINING LEASE (KAJRAHAT & BHALUA LIMESTONE MINES) FOR DALLA CEMENT WORKS AND DALLA SUPER CEMENT WORKS (UNITS OF ULTRATECH CEMENT LIMITED)

(iv). **State** : Uttar Pradesh

(v). **Category of the Proposal** : Mining

(vi). **Shape of forest land proposed to be diverted** : Non Linear

(vii). **Estimated cost of the Project(Rupees in lacs)** : 150000

(viii). **Area of forest land proposed for diversion(in ha.)**: 344.688

(ix). **Non-forest land required for this project(in ha.)**: 939.555

(x). **Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years)**: 10

A-2. Details of User Agency

(i). **Name** : ULTRATECH CEMENT LIMITED - UNIT DALLA CEMENT WORKS

(ii). **Address1** : UltraTech Cement Limited Dalla Cement Works

(iii). **Address2** : SH 5 Post Dalla Distt. Sonbhadra

(iv). **State** : Uttar Pradesh

(v). **District** : Sonbhadra



(vi). Pin : 231207

(vii). Landmark : Near Dalla Cement Works

(viii). Email address : dallasuper@adityabirla.com

(ix). Landline Telephone No. : 5445-265778

(x). Fax No. : 5445-265802

(xi). Mobile No. : 9819300300

(xii). Website (if any) : www.ultratechcement.com

(xiii). Legal status of User Agency : Private

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Anil

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Bajaj

(iv). Gender: Male

(v). Designation: COO

(vi). Address 1: UltraTech Cement Limited unit dalla cement works

(vii). Address 2: SH 5 POST DALLA distt Sonbhadra

(viii). State: Uttar Pradesh

(ix). District: Sonbhadra

(x). Tehsil: Robertsganj

(xi). Pin: 231207

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: dallasuper@adityabirla.com

(xiv). Landline Telephone No.: 5445-265778

(xv). Fax No.: 05445265801



(xvi). Mobile No.: 9819300300

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Forest Division Obra	344.688	939.555
Total		344.688	939.555

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Sonbhadra	344.688	939.555
Total		344.688	939.555

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Padrach	39.216	22.528
2	kota	295.921	500.619
3	Billi-Markundi	9.551	416.408
Total		344.688	939.555









B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Mining Area	204.638	163.981



2	PLANTATION	2.92	8.163
3	INFRASTRUCTURE	0.304	30.563
4	ROAD AND PARKING	5.046	13.991
5	DUMP	6.464	6.885
6	NON MINING AREA (Other Ancillary Activities)	125.316	219.453
7	RESIDENTIAL AREA/OBRA AND DALLA TOWNSHIP	0	496.519
Total		344.688	939.555

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Forest Division Obra														
<p>(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 344.688</p> <p>(ii). Nature of the Project: Non Linear</p> <p>(a). No. of patches : Two</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">Patch wise details</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Patch No.</th> <th style="width: 20%;">Area of Patch(in ha.)</th> <th style="width: 70%;">Kml File of PatchesTo view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">50.606</td> <td style="text-align: center;">  View File </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">294.082</td> <td style="text-align: center;">  View File </td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: </p> <p>(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: </p>			Patch wise details			Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of PatchesTo view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.	1.	50.606	 View File	2.	294.082	 View File
Patch wise details														
Patch No.	Area of Patch(in ha.)	Kml File of PatchesTo view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer.												
1.	50.606	 View File												
2.	294.082	 View File												

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 500
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 2000

F. Displacement of People due to the Project, if any

- (i). Whether Project involves displacement?: No



G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: Yes

(a). Copy of Cost-Benefit analysis:

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : Yes

(a). Status of the Environmental Clearance to the Project: EC obtained

(b). Environmental Clearance File No.: J-11011/560/2007-IA.II(I)

(c). Copy of Environmental Clearance to the Project:

(d). Date of grant of Environmental Clearance to the Project: 2008-29-09

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted:

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 3

(iv). No. of patches: Three






District 1. : Unnao

- (a). Village: Sarkan vill. (Bichiya Block)
- (b). Area(in ha.): 10.57
- (c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)
- (d). Khasra details: Pargana-Hadaha, Khasra details mentioned in Ownership
- (e). Present owner: User Agency
- (f). Copy of Ownership proof: 

District 2. : Mirzapur

- (a). Village: Badauha, Barhaua, Chak Gambhira, Mahokar, Manikpur, Naudar, Parasia Mudhpele, Paudi Rampur, Sindhor
- (b). Area(in ha.): 338.648
- (c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)
- (d). Khasra details: Khasra details are mentioned in Ownership proof
- (e). Present owner: User Agency
- (f). Copy of Ownership proof: 

District 3. : Sonbhadra

- (a). Village: East Amarsota, Sagardha, Ranitali, Gurmura, Vashudha, Hara, Gadav
- (b). Area(in ha.): 121
- (c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)
- (d). Khasra details: East Amarsota 7, Sagardha-5,6,7, Ranitali-1, Gurmura-6, Ranital 1A, Vashudha-3B, Hara-9, Gadav-3,5
- (e). Present owner: Others
- (f). Copy of ownership proof: 
- (g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: 



(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land:

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station:

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation:

M. Mining Details

M-1. Details of Mineral Concessions

(i). Whether the forest land is acquired under Coal Bearing Areas Act: No

(a). Reference number of Letter of Intent for grant of mining lease.(approval letter of the State Mines and Geology Department): 3493(1)/86-2007-404/06

(b). Date of issue of the Letter of Intent(LOI) for grant of mining lease: 07 Nov 2007

(c). Copy the Letter of Intent(LOI):

(d). Total area of the mining lease(in ha.): 1394.433

(e). Area of forest land located in the mining lease(in ha.): 344.688

M-2. Details of Mining Plan

(i). Date of approval of mining plan: 13 Oct 2021

(ii). Approval authority: INDIAN BUREAU OF MINES, U.P. GOVERNMENT

(iii). Copy of approval of mining plan:

(iv). Copy of approved mining plan:

(v). Nature of mining (underground/opencast): Opencast

(vi). Copy of the detailed land use plan in 1:4,000 scale prepared by using GPS or Total Station :

(vii). Copy of map of the outer boundary of mining lease area:

[View file](#)

M-3. Details of prospecting undertaken to assess mineral reserves

(i). Whether detailed prospecting to assess mineral reserve in the lease has been undertaken: No

M-4.



Details of extension (if any) of original prospecting licence issued in the past

(i). Whether detailed prospecting to assess mineral reserve in the lease has been undertaken: No

M-5. Brief details of prospecting activities undertaken in the mining lease :

(i). Detail of prospecting activity under taken in the mining lease: No prospecting activities have been undertaken by the User Agency to assess mineral reserve in the mine lease area.

M-5.1 Details of bore holes drilled for prospecting :

Bore holes drilled for prospecting				
S.no	No. of Bore holes (in forest land)	Diameters(in inch.) forest land	No. of Bore holes (in non-forest land)	Diameters(in inch.) non-forest land
1	0	0	0	0

M-5.2 Estimated Reserve along with accuracy and confidence level

Estimated Reserve along with accuracy and confidence level						
Minerals	Estimated Reserve (million tons)	% accuracy (+ -)	% confidence level	Estimated Reserve (million tons)	% accuracy (+ -)	Estimated mineral reserve at the end of mining lease(million tons.)
NIL						

M-6. Details of approval under the Forest (Consevation) Act,1980 obtained for undertaking prospecting activities in the forest land located in the mining lease

(i).Whether approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 for undertaking prospecting activities in the forest land located in the mining lease have been obtained No

Details of approval under the Forest(Consevation) Act,1980					
S.no	MoEF File No	Date of approval	Area of forest land diverted(in ha.)	From Date	To Date
NIL					

M-7. Mineral wise details

(i). No. of minerals: One

Mineral wise details						
Minerals	Estimated reserve in non forest land(million tons.)	Estimated reserve in forest land(million tons.)	Estimated annual extraction(million tons.)	Estimated life of mine(Yrs.)	Total estimated extraction during mining lease period(million tons.)	Estimated mineral reserve at the end of mining lease(million tons.)



Limestone and Other Calcareous Materials	11.58	146.85	3.5	45	146	12.43
--	-------	--------	-----	----	-----	-------





















M-
7.1 Proposed use of the minerals proposed to be raised from the mining lease

(i). Proposed use of the minerals proposed to be raised from the mining lease: Captive
























(a). Copy note containing details of the linked end-use Project:

(ii). Copy note containing details of the plan for the transportation of the minerals proposed to be raised from the mining lease:

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		SHORT NARATIVE OF THE PROJECT
2		Mine Plan approval letters
3		Approval of Mine Plan
4		Patch Wise CA land details
5		EC Clarification for integrated Plan
6		Forest Land Khasra Details
7		Note on ESZ area of Kaimoor WLS
8		Mine Lease LOI
9		Justification
10		CA land Agreement with User Agency
11		Undertaking
12		EDS Compliance 16.07.2020
13		Kajrahat Mine Plan Approval
14		Non Encumbrance Certificate
15		Muck Management Plan
16		Environmental Clearance letter for the project
17		Component Wise Breakup
18		General Condition of Forest Dept.
19		Undertaking For NPV
20		Undertaking for No Work Started



21		EDS Compliance 25.11.2020
22		PRAMAN PATRA- DURLABH-SANKAPANN- VISHIST PRAJATI
23		PRAMAN PATRA-SMARAK KHETRASAMBANDHI
24		PRAMAN PATRA-VAN SWAROOP KHETRA
25		PRAMAN-PATRA- PREMIUM AND LEES RENT SAMBANDHI
26		PRAMAN-PATRA- VANYA JEEV ABHYARAN SAMBANDHI
27		PRAMAN-PATRA- LABHANWIT HONE WALE GRAM
28		lease Application letter
29		Certificate for lease validity upto 10 Years
30		Kaimur WLS Notification
31		Forest gazette notification
32		EDS Compliance 28.06.2021
33		Kaimur WLS ESZ Gazette 2017
34		Kaimoor WL NOC /Comments from Chief Wildlife Warden letter dt:11th Aug.22
35		CA land Agreement _Ownership Unnao district
36		Combined CA Suitability Certificate- Mirzapur, Kaimoor, Obra, Unnao division
37		DGPS Map of Forest & Non forest land Bhaluwa & Kajrahat along with Kaimoor WL ESZ boundary
38		Google Image of Forest & Non forest land of Bhaluwa & Kajrahat mine along with Kaimoor WL ESZ boundary
39		EDS Compliance vide MoEF&CC File No. 8- 26/2021-FC dated 01.11.2021
40		EDS Compliance of MoEF&CC dt 14.11.2022 along with other details
41		EDS Compliance of MoEF&CC against DFO letter 19.07.2023 is along with other details enclosed.
42		EDS Compliance of MoEF&CC as per DFO letter 26.07.2023 with other details
43		EDS Compliance of MoEF&CC as per DFO letter



No-1780/Obra/15 dated 27.01.2023 with other details

Print



PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-0267/2020

1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

- (i) State / Union Territory : Uttar Pradesh
(ii) District : Sonbhadra
(iii) Forest Division : Forest Division Obra
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 344.688
(v) Category of the Proposal: Mining

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Forest Division Obra	344.688	Reserved Forest
Total		344.688	

Division 1. : Forest Division Obra

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Sonbhadra	344.688
Total		344.688

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion**(i) Density of vegetation**

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	344.688	0.3	Eco 3
Total.	344.688		

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Dalburgia Sisoo	Shisham	57	4	1	0	0	0
2	Tectona Grandis	sagwan	338	6	1	0	0	0
3	Albizia lebbeck	Seerish	35	18	1	0	0	0
4	Madhuka Indica	Mahua	49	39	13	3	0	0
5	Tamarindus Indica	Imali	0	0	0	1	0	0
6	Azadirachta Indica	Neem	1061	60	4	3	0	0
7	Mangifera Indica	Aam	12	12	1	1	0	0
8	Syzigium Cumini	Jamun	5	3	0	0	0	0
9	Eucalyptus	Liptus	4	0	0	0	0	0
10	Others	Piyar	52	3	0	0	0	0
11	Others	Kukath	7110	1442	97	23	0	0
12	Shorea Robusta	Sakhu	272	39	1	0	0	0
13	Diasporus Melanoxylon	Tendu	2013	30	3	0	0	0



14	Others	Asna	4	0	0	0	0	0
15	Terminalia Arjuna	Kahawa	13	5	2	1	0	0
16	Hardwickia Binnata	Parsidh	8	1	0	0	0	0
17	Lagerstroemia Parviflora	Shidha	482	17	0	0	0	0
18	Bombax Ceiba	Semal	136	20	6	2	0	0
19	Boswellia Serrata	Salaya	1497	320	45	10	0	0
20	Acacia Catechu	Khair	239	11	0	0	0	0
21	Holoptelia integrifolia	Chilbil	723	149	21	5	0	0
Total			14110	2179	196	49	0	0
Sub Total (No of Trees.)			16534					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area is covered in working circle of working plan

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion :

The forest area is vulnerable for soil erosion

7.

Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) :

0

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion :

List uploaded under additional details

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No



10.

Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes







11. Details of violation(s), if any ,committed


- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No


12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No

13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khassra	KML file	Present Owner file
1	Sonbhadra	East Amarsota, Sagardha, Ranitali, Gurmura, Vashudha, Hara, Gadav	121	East Amarsota 7, Sagardha-5,6,7, Ranitali-1, Gurmura-6, Ranital 1A, Vashudha-3B, Hara-9, Gadav-3,5		
2	Unnao	Sarkan vill. (Bichiya Block)	10.57	Pargana-Hadaha, Khassra details mentioned in Ownership		
3	Mirzapur	Badauha, Barhaua, Chak Gambhira, Mahokar, Manikpur, Naudar, Parasia Mudhpel, Paudi Rampur, Sindhori	338.648	Khassra details are mentioned in Ownership proof		








- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 

- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A: 

- (iv). Copy of CA scheme details: 

- (iv). Copy of CA scheme details: NA

Additional information Details

S. No.	Documents	Remarks
1		CA Suitability certificate Mirzapur, Kaimoor, Obra, Unnao division
2		Google image Kajrahat & Bhalua along with Kaimoor ESZ boundary
3		SITE INSPECTION REPORT
4		DSS analysis report for degraded forest land 121 Ha
5		NOC of CWLW Kaimoor WLS
6		Kaimoor ESZ GPS Co-ordinate
7		Gazette Notification



8		CA scheme
9		Tree anumeration
10		List of Wildlife in Obra Division
11		DGPS Forest & Non forest in Bhaluwa & Kajrahat mine along with Kaimoor WL Boundary

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on (date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Sonbhadra	678800	378286	793.744	69	842.754	30/06/2021	842.754	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Forest Division Obra	Mirzapur Circle Mirzapur	DFO	Yes	One		13/02/2021

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Forest Division Obra	Mirzapur Circle Mirzapur	DFO	Recommended	The proposed forest area was part of lease provided to user agency in past.		
	Mirzapur Circle Mirzapur	CF	Recommended	Recommended		Yes
		Nodal Officer	Recommended	Recommended for approval.		

Specific recommendation of the State Government (Part V)

17.



Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttar Pradesh	State Secretary	Recommended	21/09/2021	Recommended	State Govt. Officer	No Data	

Print





UNDERTAKING FOR CA LAND

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 344.688 ha forest land for Mining works proposed in village Billi-Markundi, Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.

We hereby, undertake that Ultra Tech Cement Limited will abide by the revised guidelines of MoEF&CC (GOI) dated 21/08/2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg." Point no. 4(ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account."

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited


(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



UNDERTAKING FOR CA LAND

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 331.475 ha forest land for Mining works proposed in village Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.


We hereby, undertake that Ultra Tech Cement Limited will abide by the revised guidelines of MoEF&CC (GOI) dated 21/08/2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg." Point no. 4(ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account."

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited


(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 578 /एक-1-2020-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2020

अधिसूचना

(संशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक 31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० अंकित है, के स्थान पर मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।



आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- २४२३ /एक-1-2019-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: २२ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या आ०मु०रा० 339/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 तथा अधिसूचना संख्या-300/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-08/03/2019 को निरस्त करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात् उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

अनुसूचीजनपद- मीरजापुर

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	भूमि की श्रेणी	नाम खातेदार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०गे)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	सिन्धोरा	6-4	पहाड़	1000	5.263
2					1007	39.911
			योग:-		2 गाटा	45.174
3	चुनार	चकगम्भीरा	6-4	पहाड़	114 मि०	127.502
			योग:-		1 गाटा	127.502
4		रैकरा	5-3-ख	झाड़ी	699 चमि	3.694
5			5-3-ड	बंजर	95 मि०	0.379
6					96 ख	0.550
7	गडिहान				101 डमि०	2.126
8					108 यामि०	4.238
9					148 ग/4	0.430
10					206	1.400

-2-



2

11				223मि०	0.645
12				241क	0.460
13				278डमि०	0.400
14				289	0.300
15				304ख	2.800
16				395क	0.250
17		5-1	नई परती	108ड	11.690
18				110चमि	0.380
19				302ख	0.640
		योग:-		16 गाटा	30.382
20	मलवार	5-3-ख	जंगल झाड़ी	54ख	0.051
21				54गमि०	1.187
22				56खमि०	0.708
23				59ख	3.490
24				59ड	3.971
25				61ख	2.845
26				65ख	12.633
27				69ख	1.328
28				488ख	5.919
29				499ख	2.276
30	लालगंज			506घ	1.934
31				781ख	1.252
		योग:-		12 गाटा	37.594
32	नौदर	6-4	पहाड	1कमि०	17.769
		योग:-		1 गाटा	17.769
33	पुरा काशीनाथ	6-4	पहाड	235मि०	16.046
		योग:-		1 गाटा	16.046
34	उरुआ	6-4	पहाड	64घ	3.718
35				65	1.372
36				78घ	25.378

3-



		योग:-	3 गाटा	30.468
37	मातिकपुर	6-4 रानीवारीपहाड	3छ	9.131
		योग:-	1 गाटा	9.131
38	वडाँहा	6-4 पथरैल	623क	6.930
39			649च	4.000
40		6-4 पहरी	651	22.307
41			561ड	15.224
		योग:-	4 गाटा	48.461
42	परसिया मुडपेली	6-4 पथरीली	2क	2.000
43			4छ	8.000
44			686घ	22.600
45			995ख	2.000
46			998च	5.000
		योग:-	5 गाटा	39.600
47	महोखर	6-4 पथरीली	14ग	0.025
48			15ख	0.506
49			16क	3.506
50			17क	0.101
51			19ख	0.126
52			45ग	0.025
53			48ख	0.190
54			50क	0.038
55			71ख	0.190
56			72घ	0.139
57			76क	6.000
58			87ख	0.025
59			91ख	0.531
		योग:-	13 गाटा	11.402
60	पौडी रामपुर	6-4 पथरीली	258घ	0.253
61			438घ	5.729



62				474ख	6.717
63				477ड	1.999
64				500ख	1.417
65				501ख	0.190
66				482ख	0.936
67				477गजि	0.620
68				473ख	0.278
69				442ख	0.076
			योग:-	10 गाटा	18.215
70	बरहुला	5-3-ड	बंजर	126क	0.341
1				135च	6.007
72				141	1.480
73				143	0.304
74				144	2.162
75				145	0.278
76				147	1.417
77				148क	1.163
78				148ख	1.871
79				148ग	1.770
80				151कजि	0.544
81				153	4.339
2		5-1	नंद परती	153मि0	3.542
83				107च	0.645
84		6-4	पथरैल	85	7.735
85				102क	4.962
			योग:-	16 गाटा	38.560
			सम्पूर्ण योग:-	85 गाटा	470.304

(1) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि0-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम सिन्धोरा तहसील-सदर, ग्राम चकगम्भीरा तहसील-चुनार, ग्राम रैकरा तहसील-मडिहाय तथा ग्राम मतवार, लौंदर, पुरा काशीनाथ,



-5-

उरुआ, मानिकपुर, बड़ौहा, परसिया मुड़पेली, महोखर, पौड़ी रामपुर, बरहुला तहसील-लालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध निस्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

(3)- उक्त भूमि वन विभाग 30प्र० शासन के निवर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दि०-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, 30प्र० शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(5)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में



G-

दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गाई फाइल।

30.10.19

आज्ञा से,

(आर० वी० सिंह)

संयुक्त सचिव



JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST LAND AND DETAILS OF ALTERNATIVE EXAMINED

Dalla Cement Works (DCW) along with captive mine was acquired from Jaiprakesh Associates Limited (JAL) by Ultratech Cement limited pursuant to scheme of arrangement Sectioned by NCLT bench at Mumbai on 15.02.2017 and NCLT bench at Allahabad on 02.03.2017 respectively. The Scheme was made effective from 29.06.2017 by the resolution passed at meeting of Board of directors of Ultratech and JAL held on 29.06.2017 respectively. Earlier JAL has acquired the Dalla Cement Factory along with its captive mines through sale of asset of Uttar Pradesh State Cement Corporation Limited (UPSCCL) (in Liquidation) as approved by the order dated 11.10.2006 read with order dated 12.10.2007 of the Honorable Allahabad High Court. Kajarahat Limestone Mine & Bhalua Limestone Mines as part of MOI whose non forest area is only available for mining and lease of the forest area has not been graded /executed till date. The details of limestone reserve which are available in non-forest area of the above mine are given in the following table:

Sl. No.	Mines	Available Area as per MOI (in ha.)	Area of lease of non-forest area (in ha.)	Limestone reserve on non-forest area (in MT)	Area of lease in forest area (in ha.)	Limestone reserve on forest area (in MT)
1.	Kajarahat	751.000	370.365	NIL	380.635	135.70
2.	Bhalua	643.433	592.827	5.00	50.606	10.45
	Total	1394.433	963.192	5.00	431.241	146.15

Out of total forest land, the following area is applied for diversion -

Lease	Total Area (ha)	Non-Forest (ha.)	Forest (ha.)	Forest Area in ESZ (ha.)	River (ha.)	FC (ha.)
Bhalua	643.433	592.827	50.606	0	0	50.606
Kajarahat	751.000	370.365	380.635	68.963	17.590	294.082
TOTAL	1394.433	963.192	431.241	68.963	17.590	344.688

It seems that 96.69% limestone are blocked because of non-availability of the forest land, which was under possession of the UPSCCL, earlier when DCW was functioning and the mining activity were going on since 1976. Thereafter, the mine stood transferred to JAL pursuant to the order dated 12.10.2007 on the Honorable Allahabad High Court as stated above. Therefore, this forest land required to transfer to UltraTech Cement Limited to conduct mining operation for which DCW has been established and the same limestone is required for Dalla Super Cement Works, which was established keeping in mind availability of total limestone reserve.

The forest land of Kajarahat & Bhalua limestone mines is $380.635 + 50.606 = 431.241$ ha. M/s UltraTech Cement Limited have applied total 344.688 ha for diversion of forest land, excluding the Eco-sensitive Zone (68.963 ha) and Kanhar River Area (17.590 ha.)

सर्वोपस्थित
प्रमुख प्रशासिका
संव वन पभाग
जोधरा-सोनभट





**JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST LAND AND DETAILS OF
ALTERNATIVES EXAMINED**

Dalla Cement Works (DCW) along with captive mine was acquired from Jaiprakash Associates Limited (JAL) by Ultratech Cement Limited pursuant to Scheme of Arrangement sanctioned by NCLT Bench at Mumbai on 15.02.2017 and NCLT Bench at Allahabad on 02.03.2017 respectively. The Scheme was made effective from 29.06.2017 by the resolutions passed at meeting of Board of Directors of Ultratech and JAL held on 29.06.2017 respectively. Earlier JAL had acquired the Dalla Cement Factory along with its captive mines through sale of assets of Uttar Pradesh State Cement Corporation Limited (UPSCCL) (In Liquidation) as approved by the order dated 11-10-2006 read with order dated 12.10.2007 of the Honorable Allahabad High Court. Kajrahat Limestone Mines & Bhalua Limestone Mines are part of MOI whose non forest area is only available for mining and lease for the forest area has not been executed /granted till date.

The total forest land of Kajrahat and Bhalua Limestone Mines is $380.635 + 50.606 = 431.241$ hectares. We have applied for diversion of Forest 344.688 hectares after excluding land covered by Eco Sensitive Zone (68.963 ha) and Kanhar river area (17.590 ha).

Refer to EDS of MOEF dated 14.11.2022 and minute of meeting of August 2023 issued by Nodal Officer, joint survey for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines was conducted.

Joint survey was conducted for establishing forest and non-forest area under your guidance. We have now received confirmation that the forest area in Kajrahat Mining Lease is 404.388 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary is 92.62 ha (Forest area is 55.323ha and non-Forest area is 37.296 ha). Accordingly, we would like to edit area in our proposal no. **FP/UP/MIN/47074/2020**.

Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua Limestone Mines as well. In view of paucity of Compensatory Afforestation land and unavailability of valid Mining plan for forest area, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Forest diversion of Bhalua Limestone Mine shall be taken after satisfying the above specified condition.

Accordingly, we would like to keep only forest area of Kota and Padrach Village in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines for Revised Proposal (331.475 ha).



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



Sr. No.	Total Forest area (ha)	Non-Forest area (ha)	Total lease area (ha)	Forest in ESZ (ha)	River area in lease (Forest) (ha)	FC proposal (Excluding forest area of ESZ and River) (ha)
1	404.388	346.612	751.000	55.323	17.590	331.475

The details of limestone reserves which are available in non-forest and forest area of the Kajrahat (Dalla) Limestone Mines is given in the following table:

Sr. No.	Total Forest area (ha)	Non-Forest area (ha)	Total lease area (ha)	Limestone Reserve in Non-Forest (miot)	Limestone Reserve/Resource in Forest Area (miot)
1	404.388	346.612	751.000	30.629	217.514


Seen from the above that 71.01% limestone are blocked because of non-availability of lease in the forest area which was under possession of the UPSCCL earlier when DCW was functioning and the mining activities were going on since 1976. Thereafter, the mines stood transferred to JAL pursuant to the order Dated 12.10.2007 on the Honorable Allahabad High Court as stated above. It is, therefore, required to transfer this forest land to enable UltraTech Cement Limited to conduct mining operation for which DCW has been established and the same limestone is also required for Dalla Super Cement Works which was established keeping in mind availability of total limestone reserves.

Place: Lucknow

Date: 25.04.2025



For UltraTech Cement Limited


Rajendra Kabra

(Authorized Signatory)



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

By e-mail

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES, JABALPUR**

No. E 10304 MCDR-MPC0LST/9/2024-JBP-IBM_RO_JBP

Dt : 10/07/2024

Shri/M/s. ULTRATECH CEMENT LIMITED ,

B Wing, Ahura Centre, 2nd Floor Mahakali Caves Road Andheri (East), Dalla Limestone Mine 370dot365Ha (38UPR184001) (21404301)

Sub Approval of Modification of Mining Plan in respect of Dalla (Kajrahat) Limestone Mine over an area of 751 Hect; situated in Village –
: Kota, Tehsil - Obra, District - Sonbhadra of Uttar Pradesh State...reg.

Ref : (i) Draft Modification of Mining plan received on MPAS, dated – 11/03/2024.
(ii) This office scrutiny comments dated – 02/05/2024, 01/06/2024, 06/07/2024 & 09/07/2024.
(iii) Final copy of Modification of Mining plan received on MPAS, dated – 10/07/2024.

Sir,

In exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended from time to time notified thereunder and clause (3) of Rule 17 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 as amended from time to time notified thereunder read with Government of India Order No.S.O.445(E) dated 28.04.1987 and S.O. 1857(E) dated 18th May, 2016, I hereby **Approve** the above said Modification of Mining Plan submitted under Rule 17(3) of Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016. This approval is subject to the following conditions: -

1. The Modification of Mining Plan is approved without prejudice to any other law applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any order or direction from any court of competent jurisdiction.
2. The proposals shown on the plates and /or given in the document is based on the lease map /sketch submitted by the lessee and is applicable from the date of approval.
3. It is clarified that the approval of aforesaid Modification of Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provision of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, or the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulations made there under.
4. Indian Bureau of mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the leasehold shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the lessee.
5. At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
6. If the approval conflicts with any other law or court order/direction under any statute, it shall be revoked immediately.
7. The Financial Assurance furnished by you is **3,25,58,000/-** (Rs. Three Crore Twenty Five Lakh Fifty Eight Thousand Only) is **valid up to 31/03/2026** and next Financial Assurance shall be submitted on or before **31/03/2026**.
8. This approval is restricted in respect of proposals given in the document **for the period 2024-25 (from the date of approval) to 2025-26 with validity up to 31/03/2026**, subject to all other statutory clearances.
9. This approval is subject to DGPS survey duly authenticated by the State Government and subject to forest clearance. No mining operation in Eco-sensitive zone.
10. It shall be mandatory to project proponent, abstracting ground water to obtain **No objection certificate** form Central Ground Water Authority or the M.P. State Ground Water Authority.

Yours faithfully,

(Pukhraj Nenival)

Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines, Jabalpur



Copy for information to-

1. The Director, Directorate of Geology & Mining, Khanij bhavan, 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg, Lucknow-226001 (UP)
2. The Controller of Mines (CZ), Indian Bureau of Mines, Nagpur.
3. The District Collector, Sonbhadra (UP)
4. Shri Atul Gahrana, D/54 Dalla Township Post Office -Dalla 231207, District -Sonebhadra (U.P.); E-mail -
atul.gahrana@adityabirla.com

(Pukhraj Nenival)

Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines, Jabalpur



Dalla Limestone Mine 370dot365Ha (38UPR184001) (21404301)

Approved

भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खानब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक का कार्यालय



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
O/O THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES

ANNEXURE - 6

फा0 सं0- UP/Sonbhadra/ Limestone / MPLN/MOD-02/2022-23
प्रति,

जबलपुर, दिनांक: 13/04/2022

✓ **Shri K.C.Jhanwar,**
Nominated Owner
M/S Ultra Tech Cement Ltd.
B'wing, Ahura Center, 2nd Floor, Mahakali
Caves Road, Andheri (E),
Mumbai -400093. Maharashtra
E-mail: ajit.ostwal@adityabirla.com, kailashjhanwar@adityabirla.com

विषय:- उ0प्र0 राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित आपकी भलुआ लाइमस्टोन खान (क्षेत्र 592.827 हे0) के एमसीआर- 2016 केनियम 17 (3) के अंतर्गत जमा किए गए अनुमोदित खनन योजना में संशोधन का अनुमोदन।

- संदर्भ :-1) आपका पत्र जिसकी कार्यालय में प्राप्ति दि0-15/03/2022, भारतकोश द्वारा जमा प्रक्रिया शुल्क की रसीद संख्या 2402220019977, दि0 24/02/2022 conformed on 21/03/2022
2) इस कार्यालय का समसंख्यक संवीक्षा-पत्र दि0-29/03/2022
3) आपका/क्यू पी0 का पत्र (प्राप्ति दि 11/04/2022)

महोदय,

In exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 read with Government of India Order no. S.O.1857(E), dated 18/05/2016, I hereby **Approve** the above said Modification in approved Mining Plan submitted under Rule 17(3) of Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016. This approval is subject to the following conditions:

1. The Modification in Approved Mining Plan is approved without prejudice to any other law applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any order or direction from any court of competent jurisdiction.
2. The proposals shown on the plates and / or given in the document is based on the lease map / sketch submitted by the lessee and is applicable from the date of approval.
3. It is clarified that the approval of aforesaid Modification in Approved Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provision of Mines & Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, 2015, or the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 & its subsequent amendments and any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulations made there under.
4. Indian Bureau of Mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the Leasehold shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the lessee.
5. At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect
6. This approval is restricted in respect of proposals given in the document for the period **2022-23 to 2026-27** with validity up to **31/03/2027 from the date of approval**, subject to all other statutory clearances.
7. The performance security for the amount of Rs. 9,41,80,000/- (Nine Crore Forty One lakh Eighty Thousand only) is valid upto 31/07/2022. In this regard, intimation for furnishing the performance security for the next five year w.e.f. 01/08/2022 to the State Govt. shall be given to this office positively. **The approval for next five year is conditionally accorded subject to the submission of performance security for extended period before 30/07/2022, failing which the approval shall stand revoked without issuing any separate order in this regard.-2-**
8. A drone survey of the leased area and up-to 100 metres outside the lease boundary shall be carried out and processed output [Digital Elevation Model (DEM) and Orthomosaic] images obtain from such survey or any other format as may be specified by the Indian Bureau of mines in this regard shall be submitted to this office and the Controller General, IBM as per rule 34A of MCDR Amendment Rules, 2021 within six (6) months from the date of notification of these rules.

(4) 11/04/22



- 9 Waste/ Overburden disposal from the mining lease area as minor mineral for the period 2023-24, onwards shall be done only after seeking permission under rule 12(1)(k) of MCR,2016.

संलग्न:-अनुमोदित खनन योजना में संशोधन का अनुमोदन की एक प्रति के साथ।

भवदीय,

(पुखराज नेणिवाल)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, 27/8 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ (उ०प्र०) 226001 को अनुमोदित खनन योजना में संशोधन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) श्री अतुल गेहराना द्वारा अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड डाला सीमेंट फैक्ट्री पोस्ट आफिस डाला जिला सोनमद्र(उ०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित E-mail :- atul.gahrana@adityabirla.com
- 3) Shri Punit Nigam, Holtech Consultant Pvt. Ltd.; Holtech Centre A Block, Sushant Lok, Gurgaon-122001 Haryana को सूचनार्थ प्रेषित E-mail :- pn@holtecnet.com

(पुखराज नेणिवाल)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर



संख्या- 1333/86-2017-169/2016

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ अधिशासी अध्यक्ष,
मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि०,
डाला सीमेन्ट फैक्टरी,
डाला, सोनभद्र, उ०प्र०।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 20 जून, 2017

विषय:-जनपद सोनभद्र में मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि० के पक्ष में स्वीकृत लाईम स्टोन मार्बल के 04 खनन पट्टों का मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी सोनभद्र को दिनांक 30.03.2017 को निम्नलिखित 04 खनन पट्टों को मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 29.03.2017 के कम में अपने पत्र संख्या-जेएएल/डीसीएफ/डाला/2017, दिनांक 03.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	क्षेत्रफल			खनन पट्टों की अवधि/धारा-8ए(5) के अन्तर्गत विस्तारित अवधि	निष्पादन की तिथि
		कुल क्षेत्रफल (हे० में)	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	अवशेष क्षेत्रफल (हे० में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	643.433	592.827	50.606	09.11.2002 से 08.11.2022 तक 09.11.2022 से 31.03.2030 तक	18.03.2008
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	384.000	350.383	33.617	14.12.2001 से 13.12.2021 तक 14.12.2021 से 31.03.2030 तक	30.01.2008
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	751.000	370.365	380.635	01.05.1996 से 30.04.2016 तक 01.05.2016 से 31.03.2030 तक	23.07.2008
4	निंघा मार्बल माइन्स	87.000	16.672	70.328	25.08.2008 से 24.08. 2018 तक	05.02.2010
कुल योग -		1865.433	1330.247	535.186		

2. उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या-319/खनिज/जे०पी०/2017-18, दिनांक 30.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि डाला (कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स एवं निंघा मार्बल माइन्स के खनन पट्टे के विरुद्ध कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। 04 खनन पट्टों के सापेक्ष नियमानुसार देय रायल्टी/डेडरेन्ट का दिनांक 31.03.2017 तक कोई बकाया नहीं है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-5(3) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर उक्त तालिका में क्रमांक-1.2.3 पर उल्लिखित लाइम स्टोन माइन्स के सम्बन्ध में वर्ष 2016-17 में लाइम स्टोन माइन्स के

2



औसत विक्रय मूल्य रू0 471.25 प्रति टन के आधार पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य का आंकलन करते हुये उसके 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय (Upfront payment) का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त तालिका में क्रमांक-4 पर अंकित खनन पट्टे के सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21(2) के अनुसार, मार्बल की रायल्टी दर 206.00 प्रतिटन के आधार पर उपलब्ध अवशेष उपखनिज भण्डार के अनुमानित मूल्य, जो अनुमन्य रायल्टी का पाँच गुना होता है, के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय का भी विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार उक्त चारों खनन पट्टों पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के अनुसार अग्रिम संदाय का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	दिनांक 01.04.2017 को अवशेष		स्तम्भ-5 की धनराशि का 0.5 प्रतिशत (रूपया करोड में)
			भण्डार (मिलियन टन में)	अनुमानित मूल्य (रूपया करोड में)	
1	2	3	4	5	6
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	592.827	39.97	1883.60	9.418
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	350.383	93.36	4399.60	21.998
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	370.365	111.1	5235.60 (खनन कार्य नहीं हुआ)	26.178
4	निंघा मार्बल माइन्स	16.672	7.67	790.01 (खनन कार्य नहीं हुआ)	3.95
कुल योग -		1330.247		12308.81	61.544

4. वर्णित स्थिति में उक्त चारों खनन पट्टों के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-4, 5 एवं 6 और The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विचार करते हुये उसे मे० जे०पी० एशोसिएट्स लि० से मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1). अवशेष अनुमानित खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य एक मुश्त धनराशि रू0 61.544 करोड अंतरिती (Transferee) द्वारा अग्रिम संदाय (Upfront payment) के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में 30 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा।
- (2). अग्रिम संदाय (Upfront payment) को नियमावली, 2016 के नियम-6 के उपनियम-(1) के अन्तर्गत संदेय धनराशि के सापेक्ष पूरा का पूरा समायोजित किया जायेगा।
- (3). अंतरिती द्वारा उक्त नियमावली, 2016 के उपनियम-4 के अनुसार अग्रिम संदाय करने के 15 दिन के अन्दर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 02.07.2015 के भाग-1, खण्ड-1, में प्रकाशित प्रपत्र में खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा।

2



- (4). खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के अन्दर अवशेष खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि बैंक गारन्टी के रूप में अथवा प्रतिभूत जमा के तौर पर अंतरिती द्वारा राज्य सरकार को निष्पादन प्रतिभूत प्रदान किया जायेगा।
- (5). निष्पादन प्रतिभूति को प्रत्येक पाँच वर्षों में समायोजित किया जायेगा, ताकि यह अनुमानित संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन मूल्य के 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनी रह सके।
- (6). अंतरिती को नियमावली, 2016 की अनुसूची-4 के अनुसार चारो खनन पट्टों के सापेक्ष देय रायल्टी पर 80प्रतिशत अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान करना होगा। रायल्टी संशोधित होने पर यह दर भी तदनुसार संशोधित होगी।
- (7). हस्तान्तरण की तिथि तक खनन पट्टों के सम्बन्ध में देय रायल्टी/डेड रेंट का भुगतान मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को करना होगा। हस्तान्तरण के उपरान्त यह धनराशि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा भुगतान की जायेगी।
- (8). राज्य सरकार द्वारा अंतरक (Transferor) को रायल्टी मद में 18,70,536.00 टन लाईम स्टोन हेतु प्रतिवर्ष रायल्टी से छूट प्रदान की गयी थी, जो दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2018 तक प्रभावी है, किन्तु पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त अवशेष अवधि के लिये यह छूट अंतरिती (Transferee) को अनुमन्य नहीं होगी।
- (9). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों के लिये बनाये गये एन0एम0ई0टी0 के अंशदान का भुगतान हस्तान्तरण की तिथि तक अंतरक (Transferor) द्वारा किया जायेगा। पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान अंतरिती (Transferee) द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (10). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों/उपखनिजों के लिये उ0प्र0 जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के अनुसार न्यास निधि में अंशदान, अंतरण की तिथि तक, मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा किया जायेगा। खनन पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (11). अंतरक और अंतरिती (Transferor and Transferee) खनन पट्टा के अन्तरण के लिये नियमावली, 2016 के नियम-5 के उपनियम-(4), (6) तथा (7) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक्तः रजिस्टरीकृत विलेख संयुक्त रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- (12). खनन पट्टों का हस्तान्तरण "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" तथा "The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963" के अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।



- (13). उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त खनन पट्टों की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेगी।
5. कृपया उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 86/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, महाराष्ट्र।
- 2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को उनके पत्र संख्या-356/एम-12 सी 373/09(जे0पी0ए0), दिनांक 12.06.2017 के सन्दर्भ में।
- 3 जिलाधिकारी, सोनभद्र को उनके पत्राक-319/खनिज/जे0पी0/2017-18, दिनांक 30.05.2017 के सन्दर्भ में इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत खनन पट्टों के अन्तरण के सम्बन्ध में संगत प्रभावी नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 4 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, बी-विंग, सेकेंड फ्लोर, अहुरा सेन्ट, अंधेरी ईस्ट, महाकाली केव्स रोड, मुम्बई, 400093 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि हस्तान्तरण की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5 गार्ड फाइल।

भवदीय,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।



By e-mail

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES, JABALPUR**

No. E 10304 MCDR-MPC0LST/9/2024-JBP-IBM_RO_JBP

Dt : 10/07/2024

Shri/M/s. ULTRATECH CEMENT LIMITED ,

B Wing, Ahura Centre, 2nd Floor Mahakali Caves Road Andheri (East), Dalla Limestone Mine 370dot365Ha (38UPR184001) (21404301)

Sub Approval of Modification of Mining Plan in respect of Dalla (Kajrahat) Limestone Mine over an area of 751 Hect; situated in Village –
: Kota, Tehsil - Obra, District - Sonbhadra of Uttar Pradesh State...reg.

Ref : (i) Draft Modification of Mining plan received on MPAS, dated – 11/03/2024.
(ii) This office scrutiny comments dated – 02/05/2024, 01/06/2024, 06/07/2024 & 09/07/2024.
(iii) Final copy of Modification of Mining plan received on MPAS, dated – 10/07/2024.

Sir,

In exercise of the powers conferred under Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended from time to time notified thereunder and clause (3) of Rule 17 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 as amended from time to time notified thereunder read with Government of India Order No.S.O.445(E) dated 28.04.1987 and S.O. 1857(E) dated 18th May, 2016, I hereby **Approve** the above said Modification of Mining Plan submitted under Rule 17(3) of Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016. This approval is subject to the following conditions: -

1. The Modification of Mining Plan is approved without prejudice to any other law applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any order or direction from any court of competent jurisdiction.
2. The proposals shown on the plates and /or given in the document is based on the lease map /sketch submitted by the lessee and is applicable from the date of approval.
3. It is clarified that the approval of aforesaid Modification of Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provision of Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, or the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 or the rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulations made there under.
4. Indian Bureau of mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the leasehold shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the lessee.
5. At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
6. If the approval conflicts with any other law or court order/direction under any statute, it shall be revoked immediately.
7. The Financial Assurance furnished by you is **3,25,58,000/-** (Rs. Three Crore Twenty Five Lakh Fifty Eight Thousand Only) is **valid up to 31/03/2026** and next Financial Assurance shall be submitted on or before **31/03/2026**.
8. This approval is restricted in respect of proposals given in the document **for the period 2024-25 (from the date of approval) to 2025-26 with validity up to 31/03/2026**, subject to all other statutory clearances.
9. This approval is subject to DGPS survey duly authenticated by the State Government and subject to forest clearance. No mining operation in Eco-sensitive zone.
10. It shall be mandatory to project proponent, abstracting ground water to obtain **No objection certificate** from Central Ground Water Authority or the M.P. State Ground Water Authority.

Yours faithfully,

(Pukhraj Nenival)

Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines, Jabalpur



Copy for information to-

1. The Director, Directorate of Geology & Mining, Khanij bhavan, 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg, Lucknow-226001 (UP)
2. The Controller of Mines (CZ), Indian Bureau of Mines, Nagpur.
3. The District Collector, Sonbhadra (UP)
4. Shri Atul Gahrana, D/54 Dalla Township Post Office -Dalla 231207, District -Sonebhadra (U.P.); E-mail -
atul.gahrana@adityabirla.com

(Pukhraj Nenival)

Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines, Jabalpur

Dalla Limestone Mine 370dot365Ha (38UPR184001) (21404301)



Approved

संख्या- 1333/86-2017-169/2016

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ अधिशासी अध्यक्ष,
मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि०,
डाला सीमेन्ट फैक्टरी,
डाला, सोनभद्र, उ०प्र०।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 20 जून, 2017

विषय:-जनपद सोनभद्र में मे० जय प्रकाश एशोसिएट्स लि० के पक्ष में स्वीकृत लाईम स्टोन मार्बल के 04 खनन पट्टों का मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी सोनभद्र को दिनांक 30.03.2017 को निम्नलिखित 04 खनन पट्टों को मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 29.03.2017 के कम में अपने पत्र संख्या-जेएल/डीसीएफ/डाला/2017, दिनांक 03.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	क्षेत्रफल			खनन पट्टों की अवधि/धारा-8ए(5) के अन्तर्गत विस्तारित अवधि	निष्पादन की तिथि
		कुल क्षेत्रफल (हे० में)	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	अवशेष क्षेत्रफल (हे० में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	643.433	592.827	50.606	09.11.2002 से 08.11.2022 तक 09.11.2022 से 31.03.2030 तक	18.03.2008
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	384.000	350.383	33.617	14.12.2001 से 13.12.2021 तक 14.12.2021 से 31.03.2030 तक	30.01.2008
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	751.000	370.365	380.635	01.05.1996 से 30.04.2016 तक 01.05.2016 से 31.03.2030 तक	23.07.2008
4	निंघा मार्बल माइन्स	87.000	16.672	70.328	25.08.2008 से 24.08. 2018 तक	05.02.2010
	कुल योग -	1865.433	1330.247	535.186		

2. उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र संख्या-319/खनिज/जे०पी०/2017-18, दिनांक 30.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि डाला (कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स एवं निंघा मार्बल माइन्स के खनन पट्टे के विरुद्ध कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। 04 खनन पट्टों के सापेक्ष नियमानुसार देय रायल्टी/डेडरेन्ट का दिनांक 31.03.2017 तक कोई बकाया नहीं है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-5(3) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर उक्त तालिका में क्रमांक-1.2.3 पर उल्लिखित लाईम स्टोन माइन्स के सम्बन्ध में वर्ष 2016-17 में लाइम स्टोन माइन्स के



2

औसत विक्रय मूल्य रु0 471.25 प्रति टन के आधार पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य का आंकलन करते हुये उसके 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय (Upfront payment) का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त तालिका में क्रमांक-4 पर अंकित खनन पट्टे के सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21(2) के अनुसार, मार्बल की रायल्टी दर 206.00 प्रतिटन के आधार पर उपलब्ध अवशेष उपखनिज भण्डार के अनुमानित मूल्य, जो अनुमन्य रायल्टी का पाँच गुना होता है, के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम संदाय का भी विवरण उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार उक्त चारों खनन पट्टों पर अवशेष खनिज भण्डार के अनुमानित खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के अनुसार अग्रिम संदाय का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	खनन पट्टों के नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हे० में)	दिनांक 01.04.2017 को अवशेष		स्तम्भ-5 की धनराशि का 0.5 प्रतिशत (रूपया करोड में)
			भण्डार (मिलियन टन में)	अनुमानित मूल्य (रूपया करोड में)	
1	2	3	4	5	6
1	भलुआ लाइम स्टोन माइन्स	592.827	39.97	1883.60	9.418
2	जुलगुल लाइम स्टोन माइन्स	350.383	93.36	4399.60	21.998
3	डाला(कजरहट) लाइम स्टोन माइन्स	370.365	111.1	5235.60 (खनन कार्य नहीं हुआ)	26.178
4	निंघा मार्बल माइन्स	16.672	7.67	790.01 (खनन कार्य नहीं हुआ)	3.95
कुल योग -		1330.247		12308.81	61.544

4. वर्णित स्थिति में उक्त चारों खनन पट्टों के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" के नियम-4, 5 एवं 6 और The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विचार करते हुये उसे मे० जे०पी० एशोसिएट्स लि० से मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (1). अवशेष अनुमानित खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य एक मुश्त धनराशि रु0 61.544 करोड अंतरिती (Transferee) द्वारा अग्रिम संदाय (Upfront payment) के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में 30 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा।
- (2). अग्रिम संदाय (Upfront payment) को नियमावली, 2016 के नियम-6 के उपनियम-(1) के अन्तर्गत संदेय धनराशि के सापेक्ष पूरा का पूरा समायोजित किया जायेगा।
- (3). अंतरिती द्वारा उक्त नियमावली, 2016 के उपनियम-4 के अनुसार अग्रिम संदाय करने के 15 दिन के अन्दर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 02.07.2015 के भाग-1, खण्ड-1, में प्रकाशित प्रपत्र में खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा।



2

- (4). खान विकास एवं उत्पादन करार (Mine Development and Production Agreement) पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के अन्दर अवशेष खनिज भण्डार के खनिज मूल्य के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि बैंक गारन्टी के रूप में अथवा प्रतिभूत जमा के तौर पर अंतरिती द्वारा राज्य सरकार को निष्पादन प्रतिभूत प्रदान किया जायेगा।
- (5). निष्पादन प्रतिभूति को प्रत्येक पाँच वर्षों में समायोजित किया जायेगा, ताकि यह अनुमानित संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन मूल्य के 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनी रह सके।
- (6). अंतरिती को नियमावली, 2016 की अनुसूची-4 के अनुसार चारो खनन पट्टों के सापेक्ष देय रायल्टी पर 80प्रतिशत अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान करना होगा। रायल्टी संशोधित होने पर यह दर भी तदनुसार संशोधित होगी।
- (7). हस्तान्तरण की तिथि तक खनन पट्टों के सम्बन्ध में देय रायल्टी/डेड रेन्ट का भुगतान मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 को करना होगा। हस्तान्तरण के उपरान्त यह धनराशि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा भुगतान की जायेगी।
- (8). राज्य सरकार द्वारा अंतरक (Transferor) को रायल्टी मद में 18,70,536.00 टन लाईम स्टोन हेतु प्रतिवर्ष रायल्टी से छूट प्रदान की गयी थी, जो दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2018 तक प्रभावी है, किन्तु पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त अवशेष अवधि के लिये यह छूट अंतरिती (Transferee) को अनुमन्य नहीं होगी।
- (9). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों के लिये बनाये गये एन0एम0ई0टी0 के अंशदान का भुगतान हस्तान्तरण की तिथि तक अंतरक (Transferor) द्वारा किया जायेगा। पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान अंतरिती (Transferee) द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (10). खान व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम-1957 यथा संशोधित अधिनियम-2015 के प्राविधान के अनुसार मुख्य खनिजों/उपखनिजों के लिये उ0प्र0 जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के अनुसार न्यास निधि में अंशदान, अंतरण की तिथि तक, मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा किया जायेगा। खनन पट्टा हस्तान्तरण के उपरान्त इसका भुगतान मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि की गणना, जिलाधिकारी द्वारा, निकासी किये गये खनिज की मात्रा व जमा रायल्टी के आधार की जायेगी।
- (11). अंतरक और अंतरिती (Transferor and Transferee) खनन पट्टा के अन्तरण के लिये नियमावली, 2016 के नियम-5 के उपनियम-(4), (6) तथा (7) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक्तः रजिस्टरीकृत विलेख संयुक्त रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- (12). खनन पट्टों का हस्तान्तरण "The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015", "The Mineral (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Use) Rules, 2016" तथा "The U.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 1963" के अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।



2

(13). उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अतिरिक्त खनन पट्टों की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेगी।

5. कृपया उक्त खनन पट्टों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 86/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, महाराष्ट्र।
- 2 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को उनके पत्र संख्या-356/एम-12 सी 373/09(जे0पी0ए0), दिनांक 12.06.2017 के सन्दर्भ में।
- 3 जिलाधिकारी, सोनभद्र को उनके पत्राक-319/खनिज/जे0पी0/2017-18, दिनांक 30.05.2017 के सन्दर्भ में इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत खनन पट्टों के अन्तरण के सम्बन्ध में संगत प्रभावी नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 4 मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, बी-विंग, सेकेण्ड फ्लोर, अहुरा सेन्ट, अंधेरी ईस्ट, महाकाली केव्स रोड, मुम्बई, 400093 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि हस्तान्तरण की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5 गार्ड फाइल।



भवदीय,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक,

भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर,
मध्य प्रदेश।

संख्या /M-12C-414/2017 (अल्ट्राटेक)

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषय:- मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड के प्रस्ताव के क्रम में जनपद सोनभद्र स्थित डाला (कजरहट) लाइमस्टोन माइंस के 751 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के स्वीकृत Mining Plan में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, डाला सीमेन्ट वर्क्स, जनपद सोनभद्र को संबोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-यूपी/सोनभद्र/लाइमस्टोन/एमपीएलएन/एमओडी-02/2020-21 दिनांक 07.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जनपद सोनभद्र स्थित डाला (कजरहट) लाइमस्टोन माइंस के 751.0 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के स्वीकृत Mining Plan में संशोधन के सम्बन्ध में है।

2. उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-759/86-169/2016 दिनांक 29.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल इलाहाबाद द्वारा कम्पनी याचिका संख्या-29/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2017 के अनुसार सीमेन्ट कॉरपोरेशन से मै० जय प्रकाश एसोसिएट लि० को प्राप्त समस्त परिसम्पत्तियाँ खनिज पट्टों सहित अल्ट्राटेक सीमेन्ट में सन्निहित हो गयी हैं।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29.12.2021 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या-494/2015 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश दिनांक 04.05.2016 के अनुसार वनसंरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही वनाच्छादित 380.635 हे० खनन क्षेत्र का नवीनीकरण किया जायेगा।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वनाच्छादित खनन क्षेत्र 380.635 हे० पर खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनापत्ति प्रस्तुत करने पर मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में नवीनीकरण/हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीया

(डॉ० रोशन जैकब)

निदेशक



संख्या 852 / तददिनांक।

✓प्रतिलिपि :मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, डाला सीमेन्ट वर्क्स, जनपद सोनभद्र को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० प्रो. जैकब)
निदेशक



**Existing Proposal** - Forest area of Kajrahat (Dalla) and Bhalua Mining Lease: -

Lease	Total Area (ha)	Forest (ha)	Non-Forest (ha)	Forest area in ESZ (ha)	River (ha)	FC Proposal (ha)
Bhalua	643.433	50.606	592.827	0	0	50.606
Kajrahat	751.000	380.635	370.365	68.963	17.590	294.082
Total	1394.433	431.241	963.192	68.963	17.590	344.688

Joint Survey Details - Forest area of Kajrahat (Dalla) and Bhalua Mining Lease: -

Lease	Total Area (ha)	Forest (ha)	Non-Forest (ha)	Forest area in ESZ (ha)	River (ha)
Bhalua	643.433	62.386	581.047	0	0
Kajrahat	751.000	404.388	346.612	55.323	17.590
Total	1394.433	466.774	927.659	55.323	17.590

Revised Proposal – Forest area of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines after deleting forest area of Bhalua Limestone Mines is as follows: -

Village/Lease	Forest area (ha)	Non-Forest area (ha)	Total lease area (ha)	Forest in ESZ (ha)	Non-Forest in ESZ (ha)	Total ESZ area in lease (ha)	River area in lease (Forest) (ha)	FC proposal (Excluding forest area of River and ESZ) (ha)
Kota	336.161	330.164	666.325	52.344	29.777	82.12	8.440	275.377
Padrach	68.227	16.448	84.675	2.979	7.520	10.500	9.150	56.098
Total	404.388	346.612	751.000	55.323	37.297	92.620	17.590	331.475

**UltraTech Cement Limited**

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 578 /एक-1-2020-24 (1) /2018

लखनऊ. दिनांक: 11 जून, 2020

अधिसूचना

(संशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1) /2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1) /2018 दिनांक 31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० अंकित है, के स्थान पर मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1) /2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०.प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केम्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।



आज्ञा से,
(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- १४२३ /एक-1-2019-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: २१ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 310मु0रा0-339/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 तथा अधिसूचना संख्या-300/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-08/03/2019 को निरस्त करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात् उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन में 0जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

अनुसूचीजनपद- मीरजापुर

क्र0 सं0	नाम तहसील	नाम ग्राम	भूमि की श्रेणी	नाम खातेदार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	सिन्धोरा	6-4	पहाड़	1000	5.263
2					1007	39.911
			योग:-		2 गाटा	45.174
3	चुनार	चकगम्भीरा	6-4	पहाड़	114 मि0	127.502
			योग:-		1 गाटा	127.502
4	गडिहान	रैकरा	5-3-ख	झाड़ी	699चमि	3.694
5			5-3-ड	बजर	95 मि0	0.379
6					96ख	0.550
7					101इमि0	2.126
8					108यमि0	4.238
9					148ग/4	0.430
10					206	1.400



2

11					223मि०	0.645
12					241क	0.460
13					278डमि०	0.400
14					289	0.300
15					304ख	2.800
16					395क	0.250
17		5-1	नई परती		108ठ	11.690
18					110चमि	0.380
19					302ख	0.640
		योग:-			16 गाटा	30.382
20	नालगंज	मतवार	5-3-ख	जंगल झाड़ी	54ख	0.051
21					54गमि०	1.187
22					56खमि०	0.708
23					59ख	3.490
24					59ड	3.971
25					61ख	2.845
26					65ख	12.633
27					69ख	1.328
28					488ख	5.919
29					499ख	2.276
30					506घ	1.934
31					781ख	1.252
		योग:-			12 गाटा	37.594
32		नौदर	6-4	पहाड	1कमि०	17.769
		योग:-			1 गाटा	17.769
33		पुरा काशीनाथ	6-4	पहाड	235मि०	16.046
		योग:-			1 गाटा	16.046
34		उरुआ	6-4	पहाड	64थ	3.718
35					65	1.372
36					78ग	25.378

-3-



		योग:-	3 गाटा	30.468
37	मानिकपुर	6-4 रानीवारीपहाड	3छ	9.131
		योग:-	1 गाटा	9.131
38	वडौहा	6-4 पथरैल	623क	6.930
39			649च	4.000
40		6-4 पहरी	651	22.307
41			561ड	15.224
		योग:-	4 गाटा	48.461
42	परसिया मुडपेली	6-4 पथरीली	2क	2.000
43			4छ	8.000
44			686घ	22.600
45			995ख	2.000
46			998च	5.000
		योग:-	5 गाटा	39.600
47	महोखर	6-4 पथरीली	14ग	0.025
48			15ख	0.506
49			16क	3.506
50			17क	0.101
51			19ख	0.126
52			45ग	0.025
53			48ख	0.190
54			50क	0.038
55			71ख	0.190
56			72घ	0.139
57			76क	6.000
58			87ख	0.025
59			91ख	0.531
		योग:-	13 गाटा	11.402
60	पौडी रामपुर	6-4 पथरीली	258घ	0.253
61			438घ	5.729



62				474ख	6.717
63				477ड	1.999
64				500ख	1.417
65				501ख	0.190
66				482ख	0.936
67				477मजि	0.620
68				473ख	0.278
69				442ख	0.076
			योग:-	10 गाटा	18.215
70	बरहुला	5-3-ड	बंजर	126क	0.341
1				135च	6.007
72				141	1.480
73				143	0.304
74				144	2.162
75				145	0.278
76				147	1.417
77				148क	1.163
78				148ख	1.871
79				148ग	1.770
80				151कमि	0.544
81				153	4.339
82		5-1	नई परती	153मि0	3.542
83				107च	0.645
84		6-4	पथरैल	85	7.735
85				102क	4.962
			योग:-	16 गाटा	38.560
			सम्पूर्ण योग:-	85 गाटा	470.304

(1) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि0-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम सिन्धोरा तहसील-सदर, ग्राम चकगम्भीरा तहसील चुनार, ग्राम रैकरा तहसील-मडिहान तथा ग्राम मतवार, जौंदर, पुरा काशीनाथ,



उरुआ, मानिकपुर, बड़ौहा, परसिया गुड़पेली, महोखर, पौड़ी रागपुर, बरहुला तहसील-लालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

(3)- उक्त भूमि वन विभाग उ०प्र० शासन के निर्वर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दि०-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक- 03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(5)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में



G.

दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)
30/10/19
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।

(Handwritten Signature)
30.10.19

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)
(आर० वी० सिंह)
संयुक्त सचिव



संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के पत्रांक-2088/ओबरा/15 भू0ह0, दिनांक-28.02.2024 तथा पत्रांक-3219/ओबरा/15भू0ह0, दिनांक-29.06.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, कोटा व पड़रछ में स्वीकृत डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माइन्स तथा भलुआ लाईम स्टोन माइन्स में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के साथ वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	स्वीकृत खनन पट्टा का नाम	ग्राम का नाम	कुल वन भूमि (घारा 4 से प्रभावित भूमि को सम्मिलित करते हुए) (हे0 मे0)	गैर वन भूमि (हे0 मे0)	योग (हे0 मे0)	अभियुक्ति
1	2	3	6	7		9
1	डाला (कजरहट)	कोटा	336.161	330.164	666.325	गाटेवार विवरण संलग्न है, सं0-1
2	लाईम स्टोन माइन्स	पड़रछ	68.227	16.448	84.675	
योग-			404.388	346.612	751.000	गाटेवार विवरण संलग्न है, सं0-2
3	भलुआ लाईम स्टोन माइन्स	कोटा	49.365	168.109	217.474	
4		बिल्ली मारकुण्डी	13.021	412.938	425.959	
योग-			62.386	581.047	643.433	
कुल योग-			466.774	927.659	1394.433	

उपरोक्त तालिका के भलुआ लाईम स्टोन के अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में कुल 412.938हे0 गैर वन भूमि में से गाटा संख्या 2489 रकवा 0.253हे0, 2516 रकवा 0.435हे0, 2779 रकवा 0.202हे0, 7618 रकवा 0.810हे0, 7620 रकवा 0.038हे0, 7630 रकवा 0.230हे0, 7983 रकवा 0.050हे0 कुल 2.018हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या सी-50375/2003 उमा शंकर सिंह व अन्य बनाम अपर जिला जज अनपरा स्थित ओबरा व अन्य विचाराधीन है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.11.2003 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। कालान्तर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जाता है तो उक्त क्षेत्र हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

वन रक्षक/बीट प्रभारी
चोपन बीट, डाला रेंज।

वन रक्षक/बीट प्रभारी
डाला बीट, डाला रेंज।

वन रक्षक/बीट प्रभारी
हर्दी बीट, कोन रेंज।

वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
चोपन, डाला रेंज।

वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
कोटा, डाला रेंज।

वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
हर्दा, कोन रेंज।

क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
कोटा।

क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
बिल्ली मारकुण्डी।

क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
पड़रछ।

प्रतिनिधि,
मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला,
सोनभद्र।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डाला रेंज।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोन रेंज।

प्रभारी वन वन्दोवस्त शाखा,
ओबरा वन प्रभाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन, ओबरा वन प्रभाग।

तहसीलदार,
ओबरा।

उप जिलाधिकारी,
ओबरा।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या-2224/33-1 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 07, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग-सोनभद्र।

विषय:-जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082हे0 आरक्षित वन भूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कल 344.688हे0 आरक्षित वन भूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1387/ओबरा/15भू0ह0 दि0-27.12.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में डाला रेंज के अन्तर्गत ग्राम बिल्ली मारकुण्डी, कोटा, व पड़रछ में स्वीकृत डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माइन्स तथा भलुआ लाईम स्टोन माइन्स में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन में पड़ने वाले गाटाओं का अभिलेखीय एवं स्थलीय परीक्षण कराकर आख्या क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा एवं वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क से प्राप्त की गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा अपने पत्रांक-211/33-1 दिनांक-7.01.2025 द्वारा प्रेषित आख्या व वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र के पत्रांक-631/33-1 दिनांक-7.01.2025 द्वारा प्रेषित संस्तुति रिपोर्ट के अनुसार कजरहट लाइम्स स्टोन खनन क्षेत्र का रकबा 92.62हे0 कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन के अन्दर पाया गया। जिसका गाटावार विवरण, जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट्स व नक्शा आदि संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- 1-संयुक्त सर्वे रिपोर्ट मूल में (संलग्नक-1)।

2-मानचित्र मूल में (संलग्नक-2, 3, 4, 5)।

भवदीय

07/01/25

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या- 2224 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र को उनके पत्रांक-631/33-1 दिनांक-7.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय वन अधिकारी गुर्मा को उनके पत्रांक-211/33-1 दिनांक-7.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - मे0 अल्ट्रा टेक लि0, डाला रेंज-2 चुर्क (डाला) सोनभद्र।

07/01/25

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।



19/02/2021

Annexure-
19/02

JOINT SURVEY REPORT OF THE MINING SITE LYING IN THE ESZ OF KAIMOOR WILDLIFE SANCTUARY

Boundary Description						
Kajrahat Mining Lease - Kota Village						
Sr. No.	Co-ordinates of points lying on Mining Liese Boundary			Co-ordinates of points lying on the ESZ boundary of the Kaimoor Wildlife Sanctuary		
	Point No.	Latitude	Longitude	Point No.	Latitude	Longitude
1	-	24°27'35.20"N	83°3'52.81"E	E1	24°27'35.20"N	83°3'52.81"E
2	5	24°27'35.02"N	83°3'54.36"E	E2	24°27'34.12"N	83°3'54.24"E
3	6	24°27'34.63"N	83°3'57.88"E	E3	24°27'31.85"N	83°3'57.51"E
4	7	24°27'34.23"N	83°4'1.40"E	E4	24°27'29.50"N	83°4'0.77"E
5	8	24°27'33.83"N	83°4'4.93"E	E5	24°27'27.53"N	83°4'4.08"E
6	9	24°27'33.44"N	83°4'8.46"E	E6	24°27'25.98"N	83°4'7.45"E
7	10	24°27'33.05"N	83°4'11.98"E	E7	24°27'24.80"N	83°4'10.87"E
8	11	24°27'32.65"N	83°4'15.51"E	E8	24°27'23.86"N	83°4'14.32"E
9	12	24°27'32.26"N	83°4'19.03"E	E9	24°27'22.95"N	83°4'17.78"E
10	13	24°27'31.86"N	83°4'22.55"E	E10	24°27'21.86"N	83°4'21.21"E
11	14	24°27'31.47"N	83°4'26.07"E	E11	24°27'20.96"N	83°4'24.66"E
12	15	24°27'31.07"N	83°4'29.59"E	E12	24°27'20.12"N	83°4'28.13"E
13	16	24°27'30.68"N	83°4'33.11"E	E13	24°27'19.45"N	83°4'31.62"E
14	17	24°27'30.29"N	83°4'36.64"E	E14	24°27'18.88"N	83°4'35.12"E
15	18	24°27'29.88"N	83°4'40.17"E	E15	24°27'18.49"N	83°4'38.64"E
16	19	24°27'29.49"N	83°4'43.69"E	E16	24°27'18.18"N	83°4'42.17"E
17	20	24°27'29.10"N	83°4'47.21"E	E17	24°27'17.85"N	83°4'45.71"E
18	21	24°27'28.64"N	83°4'51.11"E	E18	24°27'17.51"N	83°4'48.75"E
19	22	24°27'28.01"N	83°4'54.59"E	E19	24°27'17.12"N	83°4'52.28"E
20	23	24°27'27.40"N	83°4'58.08"E	E20	24°27'16.84"N	83°4'55.84"E
21	24	24°27'26.78"N	83°5'1.57"E	E21	24°27'16.59"N	83°4'59.40"E
22	25	24°27'26.16"N	83°5'5.05"E	E22	24°27'16.38"N	83°5'2.97"E
23	26	24°27'25.53"N	83°5'8.54"E	E23	24°27'16.27"N	83°5'6.56"E
24	27	24°27'24.92"N	83°5'12.02"E	E24	24°27'16.16"N	83°5'10.16"E
25	28	24°27'24.30"N	83°5'15.51"E	E25	24°27'16.00"N	83°5'13.74"E










24-11-2020

(2)

Annexure-

19/02

26	29	24°27'23.68"N	83° 5'18.99"E	E26	24°27'15.90"N	83° 5'17.34"E
27	30	24°27'23.06"N	83° 5'22.47"E	E27	24°27'15.85"N	83° 5'20.94"E
28	31	24°27'22.45"N	83° 5'25.96"E	E28	24°27'15.90"N	83° 5'24.57"E
29	32	24°27'21.82"N	83° 5'29.44"E	E29	24°27'15.96"N	83° 5'28.20"E
30	33	24°27'21.21"N	83° 5'32.93"E	E30	24°27'16.01"N	83° 5'31.82"E
31	34	24°27'20.59"N	83° 5'36.41"E	E31	24°27'16.07"N	83° 5'35.45"E
32	35	24°27'19.97"N	83° 5'39.90"E	E32	24°27'16.31"N	83° 5'39.12"E
33	36	24°27'19.35"N	83° 5'43.39"E	E33	24°27'16.49"N	83° 5'42.77"E
34	37	24°27'18.73"N	83° 5'46.86"E	E34	24°27'16.58"N	83° 5'46.41"E
35	38	24°27'18.12"N	83° 5'50.35"E	E35	24°27'16.70"N	83° 5'50.05"E
36	39	24°27'17.49"N	83° 5'53.84"E	E36	24°27'16.82"N	83° 5'53.69"E
37	-	24°27'17.00"N	83° 5'56.64"E	E37	24°27'17.00"N	83° 5'56.64"E

Kajrahat Mining Lease - Padraoh Village						
Sr. No.	Co-ordinates of points lying on Mining Liese Boundary			Co-ordinates of points lying on the ESZ boundary of the Kaimoor Wildlife Sanctuary		
	Point No.	Latitude	Longitude	Point No.	Latitude	Longitude
1	-	24°27'25.87"N	83° 8'49.74"E	E38	24°27'25.87"N	83° 8'49.74"E
2	92	24°27'27.27"N	83° 8'52.19"E	E39	24°27'25.83"N	83° 8'53.17"E
3	93	24°27'28.99"N	83° 8'55.21"E	E40	24°27'25.59"N	83° 8'57.52"E
4	94	24°27'30.72"N	83° 8'58.20"E	E41	24°27'25.34"N	83° 9'1.87"E
5	95	24°27'32.42"N	83° 9'1.22"E	E42	24°27'25.18"N	83° 9'6.16"E
6	96	24°27'34.15"N	83° 9'4.23"E	E43	24°27'25.04"N	83° 9'10.44"E
7	-	24°27'25.10"N	83° 9'12.30"E	E44	24°27'25.10"N	83° 9'12.30"E

RAC

CHD

RAC

E C.V. 7.



(3)

Annexure- 19/04

DETAILS OF GATA NUMBER LYING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF KAIMOOR WILDLIFE SANCTUARY

Kajrahat Mining lease

Village-Kota

Sr. No.	Gata No.	Proportion of Area lying inside ESZ	Area in ha
1	3211	Partial	0.524
2	3212	Partial	9.216
3	3213	Full Gata	0.71
4	3214	Full Gata	0.02
5	3215	Full Gata	8.521
6	3216	Full Gata	0.3
7	3217	Full Gata	0.085
8	3218	Full Gata	0.111
9	3219	Full Gata	0.09
10	3220	Full Gata	0.228
11	3221	Full Gata	0.66
12	3222	Full Gata	0.48
13	3223	Full Gata	0.08
14	3224	Full Gata	0.158
15	3225	Full Gata	0.65
16	3226	Full Gata	0.05
17	3227	Full Gata	0.529
18	3228	Full Gata	0.114
19	3229	Full Gata	0.063
20	3230	Full Gata	0.57
21	3231	Partial	2.67
22	3232	Partial	0.06
23	3233	Partial	0.17
24	3234	Partial	0.03
25	3235	Partial	0.06
26	3236	Partial	0.03



(4)

Annexure- 19/05

27	3237	Full Gata	0.35
28	3238	Full Gata	0.858
29	3239	Full Gata	1.22
30	3240	Full Gata	1.31
31	3241	Full Gata	0.345
32	3242	Full Gata	0.29
33	3243	Full Gata	0.07
34	3244	Full Gata	0.21
35	3245	Full Gata	0.015
36	3246	Full Gata	0.135
37	3247	Full Gata	0.36
38	3248	Full Gata	0.025
39	3249	Full Gata	0.646
40	3250	Full Gata	0.414
41	3251	Full Gata	0.015
42	3252	Full Gata	0.17
43	3253	Partial	0.19
44	3286	Full Gata	0.31
45	3287	Partial Full	0.505
46	3288	Partial	0.51
47	3289	Full Gata	0.012
48	3290	Full Gata	0.71
49	3291	Full Gata	0.16
50	3292	Full Gata	0.18
51	3297	Full Gata	0.013
52	3298	Partial	0.11
53	3299	Partial	0.24
54	5728	Partial	0.96
55	5774	Partial	0.18
56	5775	Partial	0.05
57	5776	Partial	0.15
58	5778	Partial	8.85
59	5822	Full Gata	0.36



Plt. sm

Full

Full

Full

(5)

Annexure- 19/08

60	5824	Full Gata	0.24
61	5826	Full Gata	0.01
62	5827	Full Gata	2.62
63	5828	Full Gata	1.02
64	5829	Full Gata	0.01
65	5830	Full Gata	0.98
66	5831	Full Gata	1.76
67	5834	Full Gata	0.55
68	5835	Full Gata	0.58
69	5837	Full Gata	0.95
70	5838	Full Gata	1
71	5839	Full Gata	1.14
72	5840	Full Gata	0.68
73	5841	Full Gata	0.54
74	5842	Full Gata	3.29
75	5843	Partial	7.32
76	5845	Partial	4.31
77	5846	Partial	9.02
Total Area			82.12

Kajrahat Mining lease**Village-Padrach**

Sr. No.	Gata No.	Proportion of Area lying inside ESZ	Area in ha
1	26	Full Gata	0.340
2	1682	Full Gata	0.190
3	1683	Full Gata	0.183
4	1684	Full Gata	0.076
5	1695	Partial	0.15
6	2383	Partial	0.29
7	2384	Partial	0.11



Raj

Smt

Smt

Smt

Raj

---6/---

(6)

Annexure-19/09

8	2385	Full Gata	0.430
9	2386	Full Gata	0.044
10	2387	Full Gata	0.190
11	2388	Full Gata	0.100
12	2389	Full Gata	0.025
13	2390	Full Gata	0.031
14	2391	Full Gata	0.094
15	2392	Full Gata	0.025
16	2393	Full Gata	0.005
17	2394	Full Gata	0.030
18	2399	Full Gata	0.056
19	2400	Full Gata	0.139
20	2401	Full Gata	0.152
21	2402	Full Gata	0.030
22	2403	Full Gata	0.139
23	2404	Full Gata	0.011
24	2408	Full Gata	0.060
25	2409	Full Gata	0.060
26	2410	Full Gata	0.025
27	2411	Full Gata	0.038
28	2412	Full Gata	0.700
29	2413	Full Gata	0.013
30	2414	Full Gata	0.140
31	2415	Full Gata	0.456
32	2416	Full Gata	0.019
33	2417	Full Gata	0.196
34	2418	Full Gata	0.202
35	2419	Full Gata	0.190
36	2420	Full Gata	0.038
37	2421	Full Gata	0.019
38	2422	Full Gata	0.139
39	2423	Full Gata	0.101
40	2424	Full Gata	0.114



RSC
 Smt
 Full
 ✓
 E
 OIL
 A

7/10/21

(7)

Annexure-19/08


41	2425	Partial	0.22
42	2426	Partial	0.14
43	2427	Full Gata	0.190
44	2428	Full Gata	0.089
45	2429	Full Gata	0.063
46	2430	Full Gata	0.076
47	2431	Full Gata	0.019
48	2432	Full Gata	0.044
49	2433	Full Gata	0.202
50	2434	Full Gata	0.443
51	2435	Full Gata	0.019
52	2436	Full Gata	0.025
53	2437	Full Gata	0.019
54	2438	Full Gata	0.019
55	2439	Full Gata	0.031
56	2440	Full Gata	0.020
57	2441	Full Gata	0.031
58	2442	Full Gata	0.038
59	2443	Full Gata	0.025
60	2444	Full Gata	0.038
61	2445	Full Gata	0.038
62	2446	Partial	0.54
63	2447	Full Gata	0.076
64	2448	Full Gata	0.316
65	2449	Full Gata	0.278
66	2450	Full Gata	0.526
67	2451	Full Gata	0.444
68	2452	Full Gata	0.510
69	2484	Partial	0.18
70	2493	Partial	0.1
71	2494	Partial	0.3
72	2495	Partial	0.09
Total Area			10.499



(B)

SUMMARY

Liese Area of Kajrahat Mining Site lying inside ESZ in Village-Kota (in Hectares)	82.12
Liese Area of Kajrahat Mining Site lying inside ESZ in Village-Padrach (in Hectares)	10.499
Total Liese Area of Kajrahat Mining Site lying inside ESZ (in Hectares)	92.62


 राजेश कुमार
 लेखपाल
 ग्राम कोटा

सर्वप्र
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 कैमूर वन्य जीव प्रभाग
 मीरजापुर


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 गुर्मा देवा


 वन्य जीव प्रतिपालक
 कैमूर वन्य जीव विभाग बुर्क सोनभद्र

For- UltraTech Cement Limited
 Authorised Signatory